

**राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 122वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 122वीं बैठक दिनांक 11/05/2022 को अपराह्न 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. दीपक शिंहा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेंटावार घर्षकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

**एजेंटा आयटम क्रमांक-1**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेंटा आयटम क्रमांक-2**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ भूम्याकान समिति, छत्तीसगढ़ की 403वीं बैठक दो दिवसीय दिनांक 30/03/2022 एवं 31/03/2022 की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, खान-बिलहा व मोहम्मदटा, तहसील-बिलहा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नरती क्रमांक 1373)

ऑनलाईन आयेदन - पूर्ण में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी / 189019/2020, दिनांक 20/08/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आयेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी / 226873/2021, दिनांक 30/08/2021 को पर्यावरणीय स्थीकृति में संशोधन हेतु आयेदन किया गया है।



**प्रस्ताव का विवरण** – उद्योग याम–बिल्हा व मोहनटा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर रिथत खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन के स्थान पर सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन में संशोधन बायत् आवेदन किया गया है।

पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 29/05/2021 को भेजसे हाई टेक सूपर सीमेट एप्ल स्टील प्राईवेट लिमिटेड, याम–बिल्हा व मोहनटा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर रिथत खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु जारी की गई है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठकों का विवरण –

##### (अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉकरेक्टर उपरिथित हुए। समिति के सम्म परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के सम्म अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्त्वाभ्यं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के साथ आयोगित आगामी माह के बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

##### (ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉकरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार भेजसे ए.एम. पी.आई. इन्यायते प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपरिथित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठति पाई गई:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन के स्थान पर सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

#### 2. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	As per EC Dated 29/05/2021		After Amendment	
		Area (in Acres)	Area (%)	Area (in Acres)	Area (%)
1	Plant Area	2.24	31.02	1.90	26.32

2	Parking Area	0.91	12.60	0.91	12.60
3	Green Belt Area	2.98	41.28	2.98	41.27
4	Open Area	0.62	8.59	0.96	13.30
5	Road Area	0.47	6.51	0.47	6.51
	<b>Total</b>	<b>7.22</b>	<b>100</b>	<b>7.22</b>	<b>100</b>

### ३. परियोजना संबंधी विवरण –

S.No.	Configuration	As per EC Dated 29/05/2021	After Amendment
1	Grinding Unit	5 x 200 TPD	2 x 500 TPD
2	Production	1000 TPD	1000 TPD (No Change)
3	Land Area	7.22 Acres	7.22 Acres (No Change)
4	No. of Ball Mill	5	2
5	No. of Feed point	5	2
6	No. of discharge point	5	2
7	No. of stacks	3	1
8	Hight of Stack	30 m	30 m
9	PM Emission	1.58 g/sec or 5.68 kg/hr	0.82 g/sec or 2.95 kg/hr
10	PM Emission	44,986 kg/annum	23,384 kg/annum
11	Green Belt Area	2.98 Acres (41.2%)	2.98 Acres (41.2%) (No Change)
12	Plant Machinary Area	2.24 Acre	1.90Acre
13	Electricity Consumption per Day	40,000 Unit	36,000 Unit
14	Water requirement	25 M <sup>3</sup> /day	22 M <sup>3</sup> /day
15	Rain water harvesting structure	13 Nos.	13+3* Nos. (*for additional 3 Nos. pits in Admin block area)
16	Project Cost	10 Crore	9.35 Crore
17	Production cost	600 PMT	570 PMT
18	Manpower requirement	140	140 (No Change)
19	Raw material Quantity	1,000 TPD	1,000 TPD (No Change)
20	Process Waste Generation	Nil	Nil
21	Waste water Generation	5 KLD	4 KLD
22	Waste water treatment capacity	8 KLD capacity STP (No Change)	8 KLD capacity STP (No Change)
23	Particulate matter Emission	30 mg/Nm <sup>3</sup>	24 mg/Nm <sup>3</sup>
24	Fugitive Emission	Nos. of Raw Material & final Product Transfer Point 5 Nos	Transfer Points 2 Nos. (Fugitive Emission will be decreased)
25	CER Cost	20 Lakhs	20 Lakhs (No Change)

26	EMP Cost	0.8 Crore	0.8 Crore (No Change)
27	Project Cost	10 Crore	9.35 Crore

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों को आद्यार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में एसआईएए, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/05/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में ‘सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता-1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन’

#### के स्थान पर

‘सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता-1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन’ संशोधन किये जाने की अनुहासा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त बदल रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुहासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रतावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

2. गोसारी श्री अशोक अग्रवाल (पचपेडी लाईग बटोन क्वारी), ग्राम-पचपेडी, तहसील-खौरामढ, ज़िला-राजनांदगांव (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1856)

ऑनलाइन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242292 / 2021, दिनांक 09 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित खूना पत्थर (गौच खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पचपेडी, तहसील-खौरामढ, ज़िला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 623/3, 624/2(पार्ट) एवं 625/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.035 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रतावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25 / 03 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30 / 03 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक अग्रवाल, प्रोप्राईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पचपेडी का दिनांक 03 / 08 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्थानन योजना – क्षारी प्लान (विश्व इन्हारोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्षारी कलोरिजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (स्क्रप्र) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5331 / खनि 02 / मा.प्ल.अनुसूचित/न.क्र.05 / 2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 13 / 10 / 2021 हारा अनुसूचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिथत खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि जाला) जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 582 / ख.लि. 02 / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 14 / 03 / 2022 के अनुसार आधिकारिक खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 34 खदाने, रक्कड़ा 43.277 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में रिथत सार्वजनिक होत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनि जाला), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 1514 / ख.लि. 02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 23 / 09 / 2021 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निमित्त नहीं हैं।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाला), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 1440 / ख.लि. 02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 22 / 09 / 2021 हारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तकी अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, बन एवं जलवाया परिवर्तन विभाग, बनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक / मा.प्लि. / न.क्र. 26(पार्ट-2) / 1646 खैरागढ़, दिनांक 23 / 06 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आधिकारिक होत्र निकटतम बन होत्र की सीमा से 23 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासी शाम-पश्चिमी 400 मीटर, स्कूल शाम-पश्चिमी 760 मीटर एवं अस्पताल शाम-पश्चिमी 600 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर हैं।
10. पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील होत्र – परियोजना प्रस्तावक हारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा घोषित छिटिकली पील्युठड़ एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या घोषित जैवविविधता होत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 6.21,000 टन, माइनेबल रिजर्व 2,13,532 टन एवं रिक्षरेबल रिजर्व 2,02,857 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर औरी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिबंधित होत्र) का क्षेत्रफल 3,280 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विलि से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। लीज होत्र में क्षयी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 7,000 घनमीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं औराई 3 मीटर है। खदान की रामायित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र

में करार स्वाधित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिक्काय किया जाएगा। यथोच्चार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल की आपूर्ति स्वतंत्र एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. युक्तारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में दारों और 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग युक्तारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन — लीज क्षेत्र की दारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन नहीं किया गया है।
15. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार विवरित किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभार उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाला), जिला—राजनांदगांव के इकायन क्रमांक 562 / ख. नि. 02 / 2022 राजनांदगांव, दिनांक 14 / 03 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 34 खदाने, रक्का 43.277 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम—पचपोड़ी) का रक्का 1.035 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (पाम—पचपोड़ी) को मिलाकर कुल रक्का 44.312 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की विस्तीर्ण स्थीरकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विभार विभार उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' बोरेगारी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एवटीपीटीज रिक्वायरिंग इन्वायरनेट बलीयरेस अपडेट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अंगी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नीन कौल माइनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the quantity of water, source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघर्ष 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार दिनशे 'उपरांत प्राधिकरण द्वारा रायेसमिति से समिति की अनुशंसा जो स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

### 3. मेहरब बिटकुली लाईम रटोन माइन, (प्रो.— श्री सौमलाल चर्मा), ग्राम—बिटकुली, तहसील—सिंगगा, ज़िला—बलीदाबाजार—भाटापारा (संविवालय का नस्ती क्रमांक 704)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व से प्रयोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74448 / 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। यहां में प्रयोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 242803 / 2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. की ऐवता युक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर खदान (मुख्य खण्डिज) है। खदान ग्राम—बिटकुली, तहसील—सिंगगा, ज़िला—बलीदाबाजार—भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 387, 401/1, 2, 3, 402/7, 8, 9, कुल लौज सेवकल 4.196 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता — 77,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन नं.मांक 328, दिनांक 04/12/2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रायोगिक संविधानों के अनुसार इन्हींयोग्यमेट इम्प्रेवट असेसमेट रिपोर्ट, इन्हींयोग्यमेट मेनेजमेट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित थेणी 1(ए) का स्टैफ्फर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माइनिंग प्रोजेक्टस हेतु टीओआर जानी किया गया।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. की वैधता दृष्टि दिये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. द्वाषट इ.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 15/05/2019 को प्रस्तुत किया गया था।
2. कोरोना (कोविड-19) के कारण लोक सुनवाई का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। आ.टी.ओ.आर. की वैधता दृष्टि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।


बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी के.एल. जार्ना, अधिकृत प्रतिनिधि उपसेक्षिता हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टी.ओ.आर. की वैधता 03 साल अधीन दिनांक 03/12/2021 तक थी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 751(अ) दिनांक 17/02/2020 के अनुसार “रांचियता विनियामक प्राप्तिकरण द्वारा नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए जारी विचारार्थ विषय की वैधता जारी होने की सारीख से 04 वर्ष की होगी।” का उल्लेख है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार “उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के हीरो हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना बायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लोकदातन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपर्योग के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।” का उल्लेख है।
4. उक्त अधिसूचना के अनुसार टी.ओ.आर. की वैधता दिनांक 03/12/2022 तक होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि टी.ओ.आर. की वैधता दिनांक 03/12/2022 तक किये जाने की अनुसंधा की गई है।



**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकाश पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। विचार विनांत उपरांत प्राधिकरण द्वारा संभाली से समिति द्वी अनुशासा को स्थीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में ऐधता कृदि जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में ऐधता कृदि पत्र जारी किया जाए।

**4. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन कारी (प्री.- श्री पुरुषोत्तम जुमनानी),  
ग्राम—नरदहा, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर**

**ऑनलाइन आवेदन –** प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 244096/2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह पूर्व से संचालित छूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—नरदहा, तहसील—आरंग, ज़िला—रायपुर रिष्ट खासरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1 एवं 1988/2, कुल क्षेत्रफल—2.79 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता— 28,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में ज़िला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, ज़िला—रायपुर के द्वारा क्रमांक 611, दिनांक 26/02/2018 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी की गई है।

यहांनां में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थापित क्षेत्र का स्थान परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर्यावरणीय स्थीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी उत्तीर्णसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार जुमनानी, अधिकृत प्रतिमिति उपसचिव हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति सांबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में छूना पत्थर खदान खासरा क्रमांक 1981, 1982/2, 1983/1 एवं 1988/2, कुल क्षेत्रफल— 2.79 हेक्टेयर, क्षमता— 28,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति ज़िला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, ज़िला—रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के सती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), ज़िला—रायपुर के द्वारा क्रमांक/क्र./खलि/लीन—6/2021/ब्यू. रायपुर, दिनांक 02/08/2021 द्वारा विभिन्न वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

दिनांक	लक्ष्यावधन (टन)
13 / 02 / 2018 से 31 / 12 / 2018	निरक्ष
01 / 01 / 2019 से 31 / 12 / 2019	9,100
01 / 01 / 2020 से 31 / 12 / 2020	17,000
01 / 01 / 2021 से 30 / 06 / 2021	2,500

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्क्खनन के साथै में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 09 / 06 / 2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सरक्खनन थोजना – रिपाईज़ रिजर्व चैलकुलेशन ऐप्टर-4 एप्प जियोलॉजिकल में प्रिय जियोलॉजिकल औंस सेप्सन प्रस्तुत किया गया है, जो लगि अधिकारी जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /ख.लि./तीन-6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 13 / 08 / 2021 द्वारा अनुगोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.लि./तीन-6/2021/बगू रायपुर, दिनांक 08 / 04 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानों, होडफल 31.467 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 08 / 04 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उपल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराहट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज भी पुरुषोत्तम जुमनामी के नाम पर है। लीज दिनांक 13 / 02 / 2018 से 12 / 02 / 2048 तक की अवधि हेतु पैप है।
7. डिस्ट्रीक्ट रार्ड रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट रार्ड रिपोर्ट (District Survey Report) भी प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, रायपुर बनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./रा./3511 रायपुर, दिनांक 22 / 11 / 2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. गहत्यपूर्ण रांचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-नरदहा 1 कि.मी. स्थूल ग्राम-नरदहा 3.7 कि.मी. एवं अस्पताल-नरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 4.5 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 60 मीटर दूर है।
10. पारिविष्टिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय शीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोड द्वारा घोषित विशिष्टिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिविष्टिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन कार्यदा एवं खनन का विवरण — जियोलीजिकल रिजर्व 3,46,240 टन, माइनिंगल रिजर्व 2,32,750 टन एवं प्रिकार्हरेशल रिजर्व 2,09,475 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित होती) का क्षेत्रफल 4,708 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड किंवि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर है। बैच की ऊपरी 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसके स्थान परिवर्तन के उपरांत क्रशर का क्षेत्रफल 3,672 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर सी ड्रिलिंग एवं लासिटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिनकाव किया जाता है। उर्धवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	22,750
द्वितीय	24,500
तृतीय	26,375
चतुर्थ	27,125
पंचम	28,875

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
पहला	18,375
द्वितीय	19,250
अष्टम	21,000
नवम	21,875
दशम	23,625

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैकर की मात्राम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में आरो 7.5 मीटर की पट्टी में 1,177 वर्ग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — प्रत्युत्तीकरण के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की आरो 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का जल क्षेत्रफल 4,708 वर्गमीटर होता है, जिसमें से उत्तर-पूर्व दिशा में 531.5 वर्गमीटर होता 3 मीटर की गहराई तथा दक्षिण-पूर्व दिशा में 386 वर्गमीटर होता 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। इस प्रकार कुल 2,752.5 घनमीटर होता उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीकृति की शर्ती का उत्खनन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को जिसका नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भवाय एवं लीज क्षेत्र में स्थापित क्रशर के स्थान परिवर्तन के कारण रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित गाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



15. चलनेवालीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग ड्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्ती जारी की गई है। यह क्रमांक 7.5m के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जीन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिनिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विस्तृद्व भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिनियम एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत संबंधित सी निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- आधिकारिक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-८/2021/व्यू. रायपुर, दिनांक 08/04/2021 के अनुसार आधिकारिक खदान से 500 मीटर के भीतर अवैधित 21 खदानों क्षेत्रफल 31.467 हेक्टेयर है। आधिकारिक खदान (ग्राम-नरदहा) का रक्कड़ा 2.79 हेक्टेयर है। इस प्रकार आधिकारिक खदान (ग्राम-नरदहा) को मिलाकर कुल रक्कड़ा 34.257 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत / संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का ब्लॉकटर मिर्जित होने के कारण यह खदान 'सी' श्रेणी की गयी।
- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जीन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन की कारण इस क्षेत्र के उपर्याप्त उपायों (Remedial Measures) के ताक्षण में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाजालायी की कारण उत्तरानन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि को किये समुचित उपायों याकृत संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नदा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
- प्रतिवर्ष 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अपैय उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृद्व नियमानुसार आवश्यक दण्डालमक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को

पहुंचाई गई क्षति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रावपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीकृति की शर्तों का पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि संबंधित होकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निरीक्षण उपरात निरीक्षण प्रतिवेदन में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीकृति के शर्तों का पालन किये जाने अवश्यक नहीं किये जाने की संभिध में चलोख किया जाना आवश्यक है। अतः पर्यावरणीय स्टीकृति की शर्तों का समुक्त पालन नहीं किये जाने की सिध्दति में भावी निर्णय उसी अनुसर लिये जाएं।
5. समिति द्वारा विवार विभास उपरात सांवेदन से उकरण वी1 कोटेजरी का होने की कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडलय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्टस/एकटीविटीज रिवायरिंग इन्वायरमेंट बल्लीयरेस अपडार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित ऐची 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईमिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न असिरिका टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा वी1 गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Gram Pachayat NOC for Crusher in Lease Area.
  - iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
  - vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.
  - vii. Project proponent shall submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly due to replacing the area of crusher.
  - viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
  - ix. Project proponent shall submit the compliance report of previous Environment Clearance.

- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/05/2022 के नाम्यम से नवीन माईमिंग प्लान के साथ चूना पलधर (गौण खनिज), उत्तरानन क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पुनः आवेदन किये जाने के कारण आवेदित प्रकरण को लिव्हडोल / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्पीकर करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

## 5. मेरासी शाह रटोन सप्लायर्स (पार्टनर- श्री हरीश शाह, घौराभाटा ढोलोमाईट माईन), याम-घौराभाटा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1864)

**ऑनलाईन आवेदन –** प्रधानमंत्री नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69946 / 2021, दिनांक 10/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह प्रस्तावित ढोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान याम-घौराभाटा, तहसील-बिला, जिला-बिलासपुर स्थित खसखा क्रमांक 25, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2 एवं 29/3, कुल क्षेत्रफल-3.653 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता-1,50,00 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरिश कुमार शाह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण करने पर जिम्म स्थिति पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत घोरभाटा का दिनांक 20/10/2021 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना — क्यासी एवान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक 5062 / माईगें—2 / कमू. पी. / एफ. न. 08 / 2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01 / 10 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में रिक्त खदान — कार्बालय कलेक्टर खनिज शाखा, ज़िला—ज़िलासपुर के झापन क्रमांक 1866 / ख. सि / न. क्र. 19 / 2021 ज़िलासपुर दिनांक 27 / 09 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 5 खदानों क्षेत्रफल 15.749 हेक्टेयर होना चाहिया गया है, जिसमें लोकल विद्याराजीन खदान के लौज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लौज की परिसरी को बीच दूरी उस सदूँख खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिसर से 500 मीटर से कम है।” अचूत कलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्याराजीन खदान के लौज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए यथा इस प्रकार शामिल खदानों के लौज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को बही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
- 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक क्षेत्र/ संरचनाएं — कार्बालय कलेक्टर खनिज शाखा, ज़िला—ज़िलासपुर के झापन क्रमांक 1866 / ख. सि / न. क्र. 19 / 2021, ज़िलासपुर दिनांक 27 / 09 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र और नदिर मसिजद, स्वाहा, पुस्तकालय, राष्ट्रीय साजमान, राज्यवार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रातिक्रियत क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
- एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. खनिज समान विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक एफ. 2—3 / 2018 / 12, नवा रायपुर दिनांक 15 / 06 / 2021 द्वारा जारी नहीं गई, जिसकी फैलता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पार्टनर डीड (भी हरिश कुमार शाह, भी सतीश कुमार शाह एवं भी गिरीश कुमार शाह पार्टनर हैं) की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
- भू—स्वामित्व — भूमि खसरा क्रमांक 25, 26 / 2, 29 / 1, 29 / 2 मेंसरी शाह क्टोन रायपुर, खसरा क्रमांक 27 भी गोहन, खसरा क्रमांक 29 भी छोटक खसरा क्रमांक 29 / 3 भीमती सोनकुंवर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि रखानियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।

C  
✓

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुति की गई है।
10. बन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र – कार्यालय उनमंडलाधिकारी बिलासपुर उनमंडल जिला-बिलासपुर के झापन क्षेत्र/तकांगी/4163 बिलासपुर दिनांक 05/11/2015 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. महत्वपूर्ण सारबनामों की दूरी – निकटतम आवादी घाम-धीरभाठा 800 मीटर, रखूल घाम-धीरभाठा 1.49 कि.मी. एवं अस्पताल घाम-धीरभाठा 1.35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थिरिकीय/ जैवविविधता सांवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक हाथा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित फ़िटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थिरिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. सानन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 39,45,799 टन एवं माईनेशल रिजर्व 14,78,277 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,773 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मॉक्नाइजल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओकर बर्डन की गहराई 0.25 मीटर से 0.5 मीटर है। बैच की ऊपराई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 12 वर्ष है। प्रस्तुतीकरण के दौरान मूवेबल (Movable) उत्खान का उपयोग किया जाना बताया गया। शैक ड्रेकर का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काव लिया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	70,000
तृतीय	75,000
चतुर्थ	1,00,000
पंचम	1,50,000

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. युक्तारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग युक्तारोपण किया जाएगा।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सल्यांद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में नुस्ख रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श सुपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. कार्यालय कलेक्टर सूनिज शास्त्रा, जिला-विलासपुर के इंतज़ार क्रमांक 1866 / संलि / नं. 19 / 2021, विलासपुर, दिनांक 27 / 09 / 2021 के अनुसार आयोगित खदान से 500 मीटर के भीतर 5 खदाने, क्षेत्रफल 15.749 है। आयोगित खदान (द्वाम-द्वीरामाठा) का रक्कड़ा 3.653 हेक्टेयर है। इस प्रकार आयोगित खदान (द्वाम-द्वीरामाठा) को निलाकर कुल रक्कड़ा 19.402 हेक्टेयर है। खदान की रीमा से 500 मीटर की परिधि में न्यौवाता / संबालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
  2. समिति द्वारा विचार विमर्श सुपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कोटेजरी का होमे के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रवर्तित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पॉर ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स / एवटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अफ़डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में निर्णीत श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हनु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the Quantity of top soil / over burdan, top soil / over burdan management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
  - v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
  - vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
  - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - ix. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.
  - x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा नैठक में विचार –** उपरोक्त प्रबन्ध पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघम 122वीं नैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। विचार विभाँ उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से शामिल की अनुशंसा को रखीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्हा ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक जनवाह रहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स औफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जाए।

6. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो).— श्री जिपलपाल सिंह मुई, धनसुली लाईम स्टोर लखारी), पाम-धनसुली, तहसील-आरंग, ज़िला-रायपुर (संविधालय का नरसी क्रमांक 1563)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्ति में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61066 / 2021, दिनांक 22 / 02 / 2021 हारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। बहुमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 61066 / 2021, दिनांक 30 / 09 / 2021 हारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पाइनल है आई ए रिपोर्ट प्रस्ताव किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित दूना पाथर (गीण खनिज) खदान है। खदान गाम-धनसुली, तहसील-आरग, ज़िला-शायपुर स्थित खसरा क्षेत्रक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्त्खानन क्षमता-2.38,000 टन प्रतिवर्ष है।

एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 हारा प्रकरण 'बी१' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इंडाइ.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिक्षायरिंग इन्वायरनेट कलीयरेंस अपडर्ड इंडिएट नोटिफिकेशन 2006 में दर्शित खंडी १(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सनायी सहित) भौम कोल मार्किनग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावका को एसईएसी... छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022  
द्वारा प्रबन्धीकरण हेतु संघित किया गया।

## वैदिकों का विवरण -

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जिपतपाल सिंह भुई, प्रोफराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के समय में मैसारी एसीरिस इन्डिया सोसाइटीक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अमित शाह उपस्थित हुए। सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लेखन के लंबांग में शाम पंचायत घनसुली का दिनांक 08/07/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लेखन योजना — बवासी पतान एवं कवासी कलोजर पतान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला—रायपुर के प. क्रमांक क./ख.लि./तीन—6/ई—निविदा/2018/1081(2) रायपुर, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में रिक्षत खदान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानों के अंतर्गत 166.68 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर द्वारा 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (झापन क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 200 मीटर की परिधि में रिक्षत सार्वजनिक होत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र और मंदिर, मराठा, अस्पताल, रक्त केन्द्र, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति तंत्रों का आदि प्रतिचाहित होत्र निर्दिष्ट होने अवधा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के झापन क्रमांक /1281/ख.लि./तीन—6/उ.प./2020 रायपुर, दिनांक 19/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
- भू—स्थानिक्य — खसरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री चिपतपाल सिंह एवं मनजीत कीर मुहिं के नाम पर है। खसरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 746, 750, 751, 752, 748 एवं 783 श्री चिपतपाल सिंह, मनजीत कीर मुहिं, श्री अनगोल शिंह एवं श्री हरनेहां सिंह के नाम पर है। उल्लेखन हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, रायपुर बनमण्डल, रायपुर के झापन क्रमांक/माधि/रा/2700 रायपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होत्र बन होत्र की सीमा से 5 कि.मी. से 6 कि.मी. की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी शाम—घनसुली 250 मीटर, रक्त केन्द्र शाम—घनसुली 250 मीटर एवं अस्पताल मंदिर हरीद 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राजमार्ग 31 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित ज़िलेकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या घोषित जैवविविधता होत्र विषय मही होना प्रतिवेदित किया है।

12. राघनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,27,500 टन, माईनिंग रिजर्व 24,11,325 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,87,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रस्तावित होती) का क्षेत्रफल 12,698 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मैकेनाईज़ थिलि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम महसूई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर है। होम की ऊपरी 5 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.03 वर्ष है। लीज होती में क्रशर तथापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं स्लारिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का फिल्टरिंग किया जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	—
द्वितीय	2,38,012
तृतीय	2,38,012
चौथा	2,38,012
पचास	2,38,012
छठम	2,38,012
सप्तम	2,38,012

नोट: नालिका में दशमलव के बाद की अवृत्ति को शामिल नहीं किया गया है।

13. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 1 प्रतिशत माईनिंग लौस दर्शाते हुये रिकवरेबल रिजर्व (23,87,211 टन) की गणना की गई है, जबकि तकनीकी दृष्टिकोण से 1 प्रतिशत माईनिंग लौस होना उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लौस माने जाने पर रिकवरेबल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षों हेतु खदान की प्रस्तावित उत्खनन अमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही विवार किया जाएगा।

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल पारच्य बीटर अर्थोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. युक्तारोपण कार्य – लीज होते की सीमा में छारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नम् युक्तारोपण किया जाएगा।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज होते के छारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – नॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम., 18.21 से 33.56 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम., 50.88 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ, 8.12 से 14.79 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ, 8.43 से 17.67 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त हेतु के निर्धारित मानक के अनुकूल है।
- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
- iv. परिवेशीय घटनि स्तर (Day time) 45.7 डीबीए से 48.8 डीबीए एवं घटनि स्तर (Night time) 37.23 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया। जो उक्त हेतु के निर्धारित मानक के अनुकूल है।
- v. भारी बाहनों / गल्टीएक्शन हैंकी बाहनों को रामाहित करने हुये ऐक्षिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 274 पी.सी.यू. प्रतिघटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 309 पी.सी.यू. प्रतिघटा होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडक्ट्स की परिवहन हेतु सड़क मार्ग यी लोड कैरिग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।
18. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान-पश्चायत भवन, द्याम पंचायत घनसुली, तहसील-आरग, जिला-रायपुर ने संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संचिद, दालीसुगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नया रायपुर अट्टस नगर, जिला-रायपुर की पत्र दिनांक 23/09/2021 हारा प्रेषित किया गया है।
19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ज्ञा युक्ताचेपण किये जायेंगे।
  - हैंकी ब्लास्टिंग होने से गांव के मकानों एवं समीप ने रिहात तालाब को क्षति होगा।
  - प्राथमिकता के आधार पर सांबित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिगियि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-
- लोज होट के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3.175 नग मुक्ती का सेपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।
  - हैंकी ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य प्रसिद्धित लोगों के हारा ही किया जाएगा।
  - शिलित देरोजगारी की योग्यता के आधार पर 30 से 40 रथानीय लोगों को आश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
20. क्लस्टर हेतु कौमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 87 खदानें आती हैं। आगे क्लस्टर में शामिल खदानों हारा कौमन इन्व्हायरोमेंटल

मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दीरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्तराखण्ड के नियंत्रण हेतु जल छिकाव, 1.5 कि.मी. तक पहुँच-मार्ग हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष ब्यय किया जाएगा।
- II. गांव के (1.5 कि.मी. तक) पहुँच-मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नम) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,56,500/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,78,950/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परिवेशीय बासु जल निटटी एवं घटनि मुण्डलता के आंकलन हेतु अर्थवाणिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमैट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (1.5 कि.मी. तक) का संचारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. ग्रामीणों के लिए हेत्व चेकअप कीम्य हेतु अनुमानित राशि 50,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- VI. कौमन इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में लुप्त राशि 34,06,250/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—
  - प्रथम वर्ष में राशि 10,46,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - छठट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमैट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संचारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्व चेकअप कीम्य हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,25,150/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - छठट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमैट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संचारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्व चेकअप कीम्य हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 6,09,500/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - छठट सप्रेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमैट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संचारण (Road Maintenance), ग्रामीणों के लिए हेत्व चेकअप कीम्य हेतु पंचम वर्ष में राशि 5,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- VII. कौमन इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहभागि व्यक्ति की गई। कौमन इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान ने परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार दी—
  - I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दीरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्तराखण्ड के नियंत्रण हेतु जल छिकाव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

- II. गांव के पहुंच मार्ग में (2,100 नग) कृषारोपण हेतु अनुमति राशि 5,08,000/- प्रथम बर्ष में व्यय किया जाएगा। कृषारोपण के लक्ष-लक्षाव हेतु अनुमति राशि 3,81,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परियोजनीय बायु, जल, मिट्टी एवं वनस्पति गुणवत्ता के अंकतन हेतु अधिकार्थिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमति राशि 90,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. कौमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम वाच घर्षी में कुल राशि 10,99,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जिसने समिति द्वारा सहभागी व्यक्ति की मई।
21. मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हआई ए. अधिसूचना, 2006 (पर्यावरणीय एवं मानवीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।
- समिति का नत है कि बलस्टर में सामिल सभी खदानों द्वारा रक्कम ही पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु स्वदानों की फिल्टीय एवं भौतिक सहभागीता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- समिति का नत है कि बलस्टर ने आने वाले खदानों की उत्तरानन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पहने बाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाली शेष समस्त 87 खदानों को सामिल करते हुए, बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रांचालक, रांचालनालय, भीमिली तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उमित होगा।
22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ प्रस्ताव से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
210.84	2%	4.21	Following activities at 2 Government Schools	2
			Rain Water Harvesting System	2.37
			Potable Drinking water Facility with 5 year AMC	0.50
			Plantation with fencing	1.35
			Total	4.22

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय पूर्व ग्राहणिक शाला ग्राम-धनसुनी एवं (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बाराड़ी में किया जाएगा।

**23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रवर्तन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का नत इन विभिन्न कार्यों का विवरण द्वारा वृक्षारोपण हेतु पौधों कॉलिंग, खाद्य एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावर एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान कहाया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग रुपये 210.8 लाख है। विनियोग की कुल लागत का हेक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**

**समिति द्वारा तत्त्वावधि सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर द्वारा 600 मीटर के गीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी (झापन छानांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी द्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे गाँड़िर, मरघट, असफल, रक्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति संज्ञेता आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. एस.ओ.आई. वैद्यता यूनिट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (खासरावान सहित) एवं उत्तरानन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संकेत में विस्तृत प्रवर्तन प्रस्तुत किया जाए।
6. भू-जल की उपयोगिता हेतु रोन्टूल घारपुङ्क वॉटर अध्यारिकी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित परियोजना हेतु विनियोग की कुल लागत का हेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
8. सी.ई.आर की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु कॉलिंग, खाद्य एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावर एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर को तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों, कॉलिंग, खाद्य एवं सिंचाई तथा रख-रखाव को लिए 5 वर्षों का घटकावर एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर को तहत प्रस्तावित स्फूल के प्राचार्य (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त कालित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर सिध्धि पाई गई कि—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के इापन क्रमांक 861/ख.लि /तीन-८/2021 रायपुर दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ऊंचाई 87 खदान, क्षेत्रफल 166.68 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के इापन क्रमांक 861/ख.लि /तीन-८/2021 रायपुर दिनांक 28/09/2021 द्वारा जारी प्रगाण पञ्च अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, नरघट, अस्पताल, रक्षाल, पुल, बांध, एवं जल आपूर्ति रक्षीत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं हैं।
3. एसओआई की फैदला पुक्कि द्वारा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकार्म नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीकाण प्रकरण क्रमांक 35/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार “विवेचना के आवार पर पुनरीकाण स्वीकार करते हुये जिला कार्यालय (खनिज शाखा) रायपुर के पञ्च दिनांक 03/08/2018 जारी आशय पञ्च में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) पुनरीकाणकर्ता श्री त्रिपतपाल सिंह भुई एवं छत्तीसगढ़ मिनरल लाकर नगर रायपुर द्वारा कर लिये जाने की सिध्धि में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-६-४२/2012, दिनांक 26.06.2020 के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण में नियामानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रबन्धन कलेक्टर, जिला रायपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।” होना बताया गया है।
4. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की ऊंचाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,867.5 घनमीटर होगा, जिसमें 30 12,697.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर से फैलाकर कृषारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 3,170 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की बाहर स्थित की भूमि (खसरा क्रमांक 883, क्षेत्रफल 2.06 हेक्टेयर) में भंडारित किया जाएगा।
5. भू—जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अॉर्डिनेट की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रस्तुत परियोजना हेतु किनियोग की कुल लागत का दोक—अप प्रस्तुत किया गया है।
7. पूर्व में चाही गई वात्सलीय विन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारिया प्रस्तुत नहीं की गई है।

सामिति द्वारा तत्त्वमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही नई वाचनीय दिन्दु क्रमांक 4, 8, 9 एवं 10 की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.इ.ए.टी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) सामिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

सामिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी वा अदलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार खासरा क्रमांक 714/1, 747, 749, 755, 759, 760, 761, श्री त्रिपतपाल सिंह एवं मनजीत कौर भुहि के नाम पर हैं। खासरा क्रमांक 773, 740, 744, 745, 748, 750, 751, 752, 748 एवं 753 श्री त्रिपतपाल सिंह, मनजीत कौर भुहि, श्री अनमोल सिंह एवं श्री हरनेक सिंह के नाम पर हैं। लाल्हनन्द हेतु भूमि स्वामियों का साहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. शीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3,175 नग दृष्टान्तेपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 79,375 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,23,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 4,76,260 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 9,78,625 रुपये 5 वर्षे हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. श्री.ई.आर. के लाल्ह 500 नग दृष्टान्तेपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव तो लिए राशि 42,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,35,000 रुपये 3 वर्षे में घटकवार व्यय किया जाए।
4. श्री.ई.आर. के लाल्ह प्रस्तावित स्थूल के प्राचार्य (Principal) का साहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र याण्डेय द्विसद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एडिक्टेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य क्षय से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category 'B-2' as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सामिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 861/ख.सि./टीम-6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 को अनुसार आवेदित खादान से

500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खादाने, कुलफल 166.68 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) का रकमा 4.97 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) का रकमा 171.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-१ श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का भत है कि न्यूनतम 5 प्रतिशत माईनिंग लॉस माने जाने पर रिक्षेटेल रिजर्व 22,90,758 टन शेष होगा। अतः 10 वर्षी हेतु खदान की प्रस्तापित उत्थानन कमता 2,38,012 टन प्रतिवर्ष के रखाने पर 2,29,000 टन प्रतिवर्ष के लिए ही अनुशासन बी जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्सी छत्तीसगढ़ मिनरल्स (प्रो.- श्री ब्रिप्तपाल सिंह भुई धनसुली लाईम स्टोन ल्कारी) की ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-सायपुर के खदान क्रमांक 714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759, 760, 761 एवं 773 में स्थित चूका पल्थर (ग्रीन टानिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर, कमता - 2,29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशासन बी गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरसी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माईनिंग द्वारा अनुसार बैच की कंडाई 5 मीटर एवं छोड़ाई 1 मीटर है। प्राधिकरण द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति शी बैच की कंडाई एवं छोड़ाई के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशासन किये जाने हेतु प्रकारण को एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्सी मुडेना फ्लेच स्टोन ल्कारी (प्रो.- श्री अभिषेक शोनी), ग्राम-मुडेना, तहसील व जिला-महाराष्ट्र (संविवालय का नरसी क्रमांक 1862)
- ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ ६९९७६/२०२१, दिनांक 10/12/2021 द्वारा श्री.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित कारी पल्थर (ग्रीन टानिज) खदान है। ग्राम-मुडेना, तहसील व जिला-महाराष्ट्र स्थित खदान क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता - 800 घनमीटर (2,000 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर्तीष शोनी, अधिकृत प्रतिभिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

## १. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण:-

- i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।  
ii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।  
लगभग का मत है कि पूर्व में खनिज शापन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिकारीपता शती के पालनार्थ की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गुरुवेरा का दिनांक ०९/०७/२०१५ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना – ज्ञारी पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकम्, नवा रायपुर अटल नगर के झापन ग्रामांक ५५२६ / खनि ०२ / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.०२ / २०१९(३) नवा रायपुर, दिनांक २६ / १० / २०२१ द्वारा अनुमोदित है।
- ५०० मीटर की परिधि में विष्वत खदान – कार्यात्मक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—महासमुद्र के झापन ग्रामांक १४४२ / क / ख.लि. / न.क्र. / २०२१ महासमुद्र, दिनांक २८ / ०९ / २०२१ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित २० खदानों को त्रफत १४.२८ हेक्टेयर है।
- २०० मीटर की परिधि में विष्वत सार्वजनिक होत्र/सारंचनाए – खनि अधिकारी, जिला—महासमुद्र, दिनांक २० / ०९ / २०२१ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से २०० मीटर की परिधि से कोई सी सार्वजनिक होत्र तो से मंदिर, मरियाद, मराटा, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित होत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज की सीहित कुमार सिंहा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक ०१/०९/२००६ को श्री अभिषेक सौनी के नाम पर किया गया है। लीज लीड १० वर्षों अधीन दिनांक १८/०७/२००६ से १७/०७/२०१५ तक की अवधि हेतु है थी। अत्यधिक सिक्कार के संबंध में खनिज शापन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अपील ग्रामांक एक ४-३७ / २०१९ / १२ के अनुसार अधीकारी श्री अभिषेक सौनी आमज श्री पी.एम.सौनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय, जिला—महासमुद्र में गौण खनिज फलीयत्वर के सुलझानी पद्धति के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की स्थीकृति के संबंध में अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गृण दोष के आधार पर नियमानुसार विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके संबंध में जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला—महासमुद्र के झापन ग्रामांक / ९०७ / क / ख.लि. / ख.प. / न.क्र. ५९ / २०१५ महासमुद्र दिनांक २५ / ०६ / २०२१ के अनुसार “छलीसगढ़ गौण खनिज नियम २०१५ में संशोधन दिनांक २३ / ०३ / २०१६ के नियम ३८क (३) एवं (४) के तहत उत्खनन पद्धति की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु पूरक अनुक्रम किये जाने के संबंध में संचालक एवं भौमिकी खनिकम्, नवा रायपुर पत्र ग्रामांक २९०३-२९ / ख.नि.४ / न.क्र.०५ / २०१५ दिनांक ०७ / ०६ / २०१६ के निर्देश में निहित ४.१ से ४.४ उत्खननपद्धति के

प्रकाशण का निम्न कांडिकाओं अनुसार परीक्षण उपरात ही उत्थननपट्टा की अवधि में वृद्धि निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के फलस्वरूप किया जायेगा:-

4.1 उत्थननपट्टाघारी द्वारा पट्टे के शर्तों एवं निष्कर्षनी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ? उत्थननपट्टा विरुद्ध यदि बोई शर्त उत्थनन के कारण कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही लवित हो तो उक्त उत्थनन के निशाकरण पश्चात ही पट्टा समयावधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाये।

4.2 छत्तीसगढ़ गौण खण्डित नियम 2015 की नियम 51(6) की तहत उत्थननपट्टा व्यवगत (लैब्ज) की खेजी में नहीं आ रहा हो।

4.3 उत्थननपट्टे का उत्थनन योजना अनुमोदित हो तथा पश्चात्करण रामति प्राप्त हो।

4.4 उत्थननपट्टाघारी पर किसी भी प्रकार का खुनिज राजस्व बकाया न हो।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर उत्थनिपट्टा लौज विस्तारीकरण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुहुँना 200 मीटर एवं स्वास्थ्य ग्राम-मुहुँना 200 मीटर दूरी पर स्थित है। साफ्टीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। महानदी 390 मीटर दूर है।
10. पारिसिथितिकीय/चौबियिकता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अलराइजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोई द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेंड एविया, पारिसिथितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित चौबियिकता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन बन विवरण - अनुमोदित क्यारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजार्व लगभग 57,500 टन, माइनेशल रिजार्व लगभग 19,286 टन एवं रिकवरेबल 14,464 टन है। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर है। ऊपर कास्ट मैनुअल वित्ती से उत्थनन विया जाता है। उत्थनन वर्षी प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेश की ऊपरी 1.5 मीटर एवं बीड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष है। लौज क्षेत्र में क्लाइर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव विया गया है। रटोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपावाव विया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
प्रथम	1,837
द्वितीय	1,837
तीसरीय	1,837
चतुर्थ	1,837

पद्धति	2,000
आगामी वर्षों का उत्पादन योजना	
वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
पहला	1,837
संधारण	1,837
अष्टम	1,750
नवम	1,837
दशम	2,000

नोट: योजना में दशमलव के बाद के अंकों को साउथडिल्डिंग किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 प्लनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैकर हारा ग्राम पंचायत के गांव्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रबनाम पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. सूक्ष्मारोपण कार्य – लीज होर्ड की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 675 नग सूक्ष्मारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की छीढ़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि लीज होर्ड के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,290 वर्गमीटर होता है, जिसमें से 360 वर्गमीटर होर्ड 6 मीटर की गहराई तक उत्थानित है। इस प्रकार कुल 1,800 वर्गमीटर होर्ड उत्थानित है। जिसपर उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में दिया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर छीढ़ी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय स्थीकृति की शर्तों का उत्पादन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालमक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली हारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार—

*"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."*

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन हारा होर्ड के अंदर 7.5 मीटर छीढ़े सेफ्टी लीन में सूक्ष्मारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., डिसिप्ल देव, नई दिल्ली हारा सल्यैंड पार्ष्डे विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से नियमानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1442/क/ख.लि./न.क./2021 महासमुन्द, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अलंकित 20 खदानों की कैफल 14.28 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुठेना) का रक्का 0.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुठेना) को जिलावार कुल रक्का 14.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल कैफल 8 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
  2. नाईन लीज क्षेत्र के घारों और 7.5 मीटर घोड़े सेफटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्तरुन्नन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियावाजापी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्मिलित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, हृदायकी भवन, नदा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
  3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर घोड़ी सीमा पहाड़ी में अवैध उत्तरुन्नन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जियामुसार आवश्यक दण्डालय कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को लाति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नदा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
  4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' के टेमरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) पौर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट पौर प्रोजेक्ट्स/एकटीयटीज रिक्वायरिंग इन्वायरनेंट लीयरेस अप्लाई ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्तीत श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन जोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई-
- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.
  - v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery where previously mining has been done & do

- plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vi. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.
  - vii. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.
  - viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
  - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
  - xi. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.
  - xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** सफरीकर्ता प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संयम्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्थनन की वास्तविक मात्रा (विलीय वर्ष) की जानकारी खानिज विभाग से प्रमाणित गराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** विगत वर्षों में किए गए उत्थनन की वास्तविक मात्रा (विलीय वर्ष) की जानकारी खानिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बी.एम. मिनरल्स (प्रो.— श्री यशदत्त शर्मा), याम—कोदवा, तहसील—बेरला, जिला—मेसर्स (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1865)

ऑनलाइन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69975 / 2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह प्रस्तावित डोलीभाईट (गोज खानिज) खदान है। खदान याम—कोदवा, तहसील—बेरला, जिला—मेसर्स रिप्ट खसरा क्रमांक 317, कुल होकरफल—1.76 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—42,120 टन प्रतिवर्ष है।

तानुसार परियोजना प्रत्याहक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णमढ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.डी.लाजुद्दीन असारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं प्रमाण करने पर मिन सिफारिश पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. चाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन के संबंध में चाम पंचायत कोदया का दिनांक 22/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्थनन योजना — कार्यालय प्लान विषय प्रोशेसिड क्यारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.) जिला—विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2737 / खनि./झोलोमाईट च.बो./2021 जिलासपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला—बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 97 / खनि.लि/उ.प./झोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानों की जांच की गयी थी। जिसमें खदान विवारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? हाँ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यादा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार “कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज होत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से ज्यादा है।” अर्थात् बलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल होत्र में विवारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए एवं इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला—बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 98 / खनि.लि/उ.प./झोलोमाईट/2021 बेमेतरा, दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे मंदिर, नरिजाद, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि मेसर्स वी.एम. मिनरल्स के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला—बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 579 / खनि.लि./झोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 31/10/2020 द्वारा जारी

की नहीं, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई की वैधता समाप्त हो गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन परिषेत्र अधिकारी के आधेन इमर्टक / 112, दिनांक 08/02/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – शिक्षण आशादी घाम–कोटा 570 मीटर, स्कूल घाम–कोटा 700 मीटर एवं अस्पताल बेमेतरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 260 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्जीवीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण और द्वारा घोषित क्रिएटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. सानन संपदा एवं सानन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,16,040 टन, माईनेवल रिजर्व 4,60,200 टन एवं रिकलरेवल रिजर्व 4,14,180 टन है। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का सेत्रफल 4,750 वर्गमीटर है। ओपन कार्स्ट सेमी मैक्रोहाईड्रेट विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम महराई 20 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,425 घनमीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.64 वर्ष है। लौज क्षेत्र में कृशार नस्यापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कट्टोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिह्नकार किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,100
द्वितीय	42,120
तृतीय	40,404
चतुर्थ	41,028
पंचम	37,284

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
पहला	41,730
द्वितीय	41,340
तृतीय	40,560
चतुर्थ	39,780
पंचम	35,880

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4125 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वतः एवं अनुमति संबंधी जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,188 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा कहाया गया कि कलस्टर में समिति मेसार्स शुभम मिनरल्स द्वारा एकत्र जी गई बेसलाइन डाटा का उपयोग इस परियोजना में भी किये जाने का अनुरोध किया गया गया है। समिति का मत है कि पर्व में एकत्रित बेसलाइन डाटा जिन सम्बंधी द्वारा ली गई है, उनका सहमति पत्र एवं मेसार्स शुभम मिनरल्स के परियोजना प्रस्तावक का सहमति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः सहमति पत्र प्राप्ति उपरांत ही बेसलाइन डाटा का उपयोग किया जा सकता है।
16. मानवीय एन.जी.टी., प्रिसिपल वैष, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एन्सिक्लोपेडिक नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर समिति शाखा, ज़िला—बेंगलुरा के ज्ञापन फ़ारमांक 97/समि.लि./उप./डीलोमाईट/2021 बेंगलुरा, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानों क्षेत्रफल 11,805 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—कोटवा) का रक्कड़ा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—कोटवा) की मिलाकर कुल रक्कड़ा 13,665 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकलित स्टैण्डर्ड टमो ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) पौर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट पॉर ब्रोजेक्टस/एवटीपिटीज रिकार्डरिंग इन्वायरमेंट जलीयरेस अफ़लर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेनी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईमिंग प्रोजेक्टस बेंगु निम्न अलिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report or Project proponent shall submit the consent copy of the Project proponent of M/s Shubham Minerals and that institute collected baseline data for EIA.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the copy of LOI extension.
- v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- vi. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा नैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संयन्त्र 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार दिनश्वर उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशासन को रखीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (स्लोक सुनपाई रहिए) जारी करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

9. मेसर्स सेल्यूल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रघुम शर्मा), ग्राम-सेल्यूल, तहसील-पाटन, ज़िला-दुर्ग (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1866)
- ऑफलाईन आवेदन – प्रधानमन्त्री – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 69986/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित सूचा पल्टर (खनिज) खदान है। खदान शाम—सेलूद, तहसील—पाटन, ज़िला—दुर्ग स्थित खदान क्रमांक 303/1, 304 एवं 307/1, कुल क्षेत्रफल—1.48 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधारा—6,206 टन प्रतिवर्ष है।

उन्नुसार परियोजना प्रस्तावका को एसईएसी, फलीसागढ़ के इापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** —

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिधित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराधान की संबंध में शाम पंचायत सेलूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराधान योजना — क्षारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी ज़िला—दुर्ग के इापन क्रमांक 945/खनिजनु—01/2021 दुर्ग, दिनांक 16/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—दुर्ग के इापन क्रमांक 1650(ए) /खनिज/02 /खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें रखाया 9.177 हेक्टेयर है।
5. 200 बीटर की परिधि में स्थित रार्चेजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—दुर्ग के इापन क्रमांक 1650(ए) /खनिज/02 /खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिधि में कोई भी रार्चेजनिक क्षेत्र जैसे नदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं एलओआई, संबंधी विवरण — भूमि आवेदक की नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—दुर्ग के इापन क्रमांक 124 /खनिज/उप./2021 दुर्ग, दिनांक 19/05/2021 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जिसकी पैदाता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. घन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय घनमण्डलाधिकारी दुर्ग घनमण्डल दुर्ग के इापन क्रमांक/उक.अधि./2021/859 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम घन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. गढ़पेपुणे संवर्धनाओं की दूरी – निकटतम आबादी शाम-सोलूद 820 मीटर, रक्कूल शाम-सोलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सोलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 370 मीटर दूर है।
10. पारिसिंधतिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्जनीय सीमा, राष्ट्रीय उत्थान, अभयारण्य, कौन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फिलटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिसिंधतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2.22,000 टन, माइनिंगल रिजर्व 43,388 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 48,209 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,588 घनमीटर है। खोपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में कल्परी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 6,547.5 घनमीटर है। बेंच की कचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सभावित आयु 8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिटंग किया जाएगा। खदान में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रिलेक्य किया जाएगा। यांत्रिक प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
पहला	6,000
साप्तम	6,000
प्राप्तम्	6,206

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुगति संकेती जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. बृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर ली पट्टी में 1,647 नग कृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान वर्ष 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रवतुत अनुमोदित बृक्षारी प्लान के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रशार वस्तावित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,847 घनमीटर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने हारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशार वस्तावित नहीं किया

जाएगा, इत्त हेतु उनके द्वारा सम्मिलित पञ्च प्रस्तुति किया गया है। समिति का मत है कि लीज होम में क्रशर की स्थापना नहीं किये जाने का उल्लंघन करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए पेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 22/02/2022 को सूचना दी गई।

17. मानवीय एन.पी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सार्वयोगी पाण्डेय विकल्प भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के ज्ञापन द्वारा क्रमांक 1050(ए) / खनि. लि.02 / खनिज / 2022 दुर्ग, दिनांक 24/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 7 खदानों रकमा 9.177 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम—सेलूद) का रकमा 1.48 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम—सेलूद) को जिलाकर कुल रकमा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की रीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरता/साधालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान ग्री1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकारण 'ग्री1' क्लेटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित रसैन्डर हट्टमसी ऑफ रिपोर्टरेस (टीओआर) फौर ईआईए /ई.एन.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में पर्याप्त क्षेणी 1(ए) का रसैन्डर हट्टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स द्वारा निम्न अलिंगिका टीओआर के शाय जारी किये जाने की अनुमान सी गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- iv. Project proponent shall submit the revised mining plan without incorporating the crusher.

- v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण ने दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विभावी उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति वी अनुशासा की स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्ही औंक रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (स्थीक सुनवाई सहित) जारी करने का निषेध किया गया।  
परियोजना प्रस्तावक को टम्ही औंक रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**10. मेशार्स सेल्यूद लाईम स्टोन कंपनी (प्रो.—श्री हिमांशु बघेल), ग्राम—सेल्यूद, ताहसील—पाटन, ज़िला—दुर्ग (संधियालय का नस्ती क्रमांक 1887)**

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/70020/2021, दिनांक 11/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण —** यह प्रस्तावित खूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—सेल्यूद, ताहसील—पाटन, ज़िला—दुर्ग रिहटा खासा क्रमांक 324/2, 325 एवं 326, कुल क्षेत्रफल—1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण —**

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हिमांशु बघेल, प्रोप्रोट्राईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेल्यूद का दिनांक 23/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – कार्यालय प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 926 / खनि.अनु-01 / 2021 दुर्ग, दिनांक 13 / 09 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063 / खनि. लि.02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 12 / 10 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदाने, रक्षा 9.527 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063 / खनि. लि. 02 / खनिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 12 / 10 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एन्टीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. एलओआई, संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 126 / खनिज / उप. / 2021 दुर्ग, दिनांक 19 / 05 / 2021 द्वारा एलओआई, जारी की गई है, जिसकी कैप्ता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्थानिक्य – भूमि श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय घनमण्डलाधिकारी दुर्ग बनमण्डल दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4303 दुर्ग, दिनांक 14 / 11 / 2020 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 50 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आचारी गाम-सेलूद 820 मीटर, स्कूल गाम-सेलूद 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल सेलूद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 370 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय / जौवायिक्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक का द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराऊकीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौवायिक्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिपेदित किया गया है।
12. खानन संपदा एवं खनन का विवरण – लियोलीजिकल रिजर्व 3,81,375 टन, भाईनेश्वर रिजर्व 1,02,097 टन एवं रिकहरेश्वर रिजर्व 91,387 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी रीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,722 वर्गमीटर है। औपन कलस्ट रोमी मेंनाइज्म द्वितीय से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर एवं मात्रा 10,328 घनमीटर है। बैंध ली कंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की लंबाई आय 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। शिक हैमर से ड्रिलिंग एवं

खासिटम किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काप किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रत्यावृत्ति उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सहेत एवं अनुमति संबंधी जानकारी, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. मृक्षाशोषण कार्य - लीज बोर्ड की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.104 नग मृक्षाशोषण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऐसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। इस हेतु उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 21/02/2022 को सूचना दी गई।
17. मानवीय एनजीटी, शिक्षण देश, नई दिल्ली द्वारा सत्येंट पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सभिति द्वारा विचार प्रियर्सी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लायल्ड कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1063/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 12/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानों रकमा 9.527 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-सेलूद) का रकमा 1.13 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-सेलूद) को मिलाकर कुल रकमा 10.657 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल बोराफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' क्षेत्री की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विभाग उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'दी' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रयोगशिल्प स्टैण्डर्ड टम्सों ऑफ रिपोर्ट्स (टीओआर) पर्सर हुआई ए / ई.एम.पी. रिपोर्ट पॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीडिटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट कलीयरेस अपडर हुआई ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेपी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिकृत टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit the source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority
- iv. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- v. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- vii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघर्ष 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विभाग उपरात प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्सों ऑफ रिपोर्ट्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिवोजना प्रस्तावक को टम्सों ऑफ रिपोर्ट्स (टीओआर) जारी किया जाए।

11. मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स (पार्टनर— श्री रमेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माइन), शाम—किरारी, तहसील—अकलतारा, ज़िला—जाहागीर—बापा (साधिवालव बन नस्ती नमांक 1868)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोज़िल नम्बर — एसआईए / शीर्षी / एमआईएन / 244382 / 2021, दिनांक 11 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय सीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव बन विवरण — यह पूर्व से संचालित दूना पलथन (गोल खनिज) खदान है। खदान शाम—किरारी, तहसील—अकलतारा, ज़िला—जाहागीर—बापा निश्चित खसरा नमांक

793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, कुल क्षेत्रफल—2.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.इ.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश कुमार जैन, अधिकृत प्रतिमिति उपरिक्षेत्र तथा शेष वर्षों में क्षमता माईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला राजीव पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—जांजगीर—चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई—

##### 1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में शुना पत्थर खदान खसरा द्वामांक 793/1 एवं 793/9 कुल क्षेत्रफल—1.823 हेक्टेयर, प्रथम वर्ष में अधिकतम क्षमता—14,250 टन प्रतिवर्ष तथा शेष वर्षों में क्षमता माईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला राजीव पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—जांजगीर—चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई।
  - ii. विनायक दही ने किए गए उत्खनन वर्ती वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज दिवाग से प्रमाणित करने का प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र — उत्खनन के रावण में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 18/08/2020 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्यारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्यारी लॉजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप समालक (खनि.प्रश्ना), जिला—कोरबा के ज्ञापन द्वामांक 325/खलि/उ.यो.आ./2017 द्वारा, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्षत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जांजगीर—चांपा के ज्ञापन द्वामांक 5928/ख.लि./न.क./2020-21 जांजगीर, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवरिक्षत 71 खदाने रक्का 117.526 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्षत सार्वजनिक क्षेत्र/सारबनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जांजगीर—चांपा के ज्ञापन द्वामांक 5174/खनि./न.क./2020-21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं मिलिए, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं हैं।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जांजगीर—चांपा के ज्ञापन द्वामांक 4900/मीण खनिज/न.क./2020-21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी विधत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

7. गू—स्वामित्य — भूमि मुकेश चूमार एवं रघेश कुमार के नाम पर है। उत्थनन हेतु पार्टनरशीप हीड़ की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
9. बन विभाग का अनापरित प्रभाग पत्र — कार्यालय बनगण्डलाधिकारी जाजगीर चापा बनगण्डल, चापा के इापन क्रमांक/तात्कालिक/6768 चापा, दिनांक 20/10/2020 से जारी अनापरित प्रभाग पत्र अनुसार आवेदित होते निकटतम उन क्षेत्र से 20 कि.मी की दूरी पर है।
10. गहत्यपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी शाम—विकासी 1.7 कि.मी., रखूल शाम—विकासी 3.6 कि.मी. एवं असपताल अकलतरा 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 24 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर एवं बरसाती नाला 115 मीटर दूर है।
11. पारिसिवधिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीना, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यारण्य, कौन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकाली पील्युटेड एरिया, पारिसिवधिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 20,51,262 टन, माईनिंगल रिजर्व 10,27,237 टन एवं रिकवरेशल रिजर्व 9,75,923 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,180 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में कृषी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,170 घनमीटर है। बेच की कंधाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र ने कृषान रथापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका होत्रफल 1,200 वर्गमीटर है। जैक हैमर से हिलिंग एवं ब्लास्टिंग विषय जाएगा। खदान में पायु प्रदूषण मियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
प्रथम	1,44,934.38
द्वितीय	1,46,276.29
तृतीय	1,48,093.13
चतुर्थ	1,00,035.00
पंचम	1,00,106.25

#### आगामी वर्षों का उत्थान योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (टन)
प्रथम	99,750.00
सप्तम	1,00,462.50
आठम	1,00,070.63
नवम	18,168.75
दशम	18,026.25

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.81 मीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैक्स द्वारा द्याम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत द्याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज हेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,032 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज हेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. उत्कर्षीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप पर लीज हेत्र से 40 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला होना पाया गया। समिति का मत है कि लीज हेत्र की सीमा से बरसाती नाला तक कुल 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुए, लीज हेत्र में 10 मीटर बरसाती नाला के लएक ब्लॉक करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. माननीय एनजीटी, प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सलैंड पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

  - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. क्षार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जालगार-घांपा के द्वापन क्रमांक 5928 / ख.लि. / न.उ. / 2020-21 जालगार, दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदाने, रक्का 117.526 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-किरारी) का रक्का 2.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-किरारी) को मिलाकर कुल रक्का 120.396 हेक्टेयर है। खदान ली रीम से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत / संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से अधिक का वलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
  2. समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से प्रबन्धन 'बी1' के टैगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित रटेप्लॉड टम्ही ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर हैआई.ए. / है.एन.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स / एवटीविटीज रिव्यायरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अप्लॉड हैआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का रटेप्लॉड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नाम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit point wise compliance report of previous Environmental Clearance.
- vi. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan maintaining minimum 50 meter distance from the seasonal nullah and accordingly submit the reserve calculations.
- vii. Project proponent shall submit the copy of partner deed.
- viii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.
- ix. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. Project proponent shall submit the details of crusher with capacity and air pollution control arrangement in crusher.
- xiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया निः—

- आधेदित प्रकरण को पूर्ण में घूना पत्थर लुदान खसरा क्रमांक 793/1 एवं 793/9, कुल क्षेत्रफल-1.823 हेक्टेयर, प्रथम वर्ष में अधिकतम क्षमता - 14,250 टन प्रतिवर्ष तथा तीस वर्षों में क्षमता नाईनिंग प्लान अनुसार, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्दारिज प्राधिकरण, जिला-जाजीर-चांपा द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई थी। यहांमान में खसरा क्रमांक 793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, कुल क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर, घूना पत्थर उत्खनन क्षमता-1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष हेतु आधेदन किया गया है। इस प्रकार यह क्षमता पिरतार का प्रकरण है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन सत्रासम्, भारत

रारकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. गोवार्सालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—जाजगीर—घापा के ज्ञापन दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी एलओआई की वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एलओआई की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. विगत वर्षी में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (विस्तीर्ण वर्षी) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विवार विभास उपरांत सार्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के परिषेक में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक की तदानुसार सूचित किया जाए।

12. नेसासी लालपुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.— श्री हर्षित शर्मा), ग्राम—लालपुर, तहसील व जिला—रायपुर (सचिवालय का नम्रती क्रमांक 1870)  
ऑनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए /सीटी /एमआईएन / 70047 /2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संभालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम—लालपुर, तहसील व जिला—रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 274/7, कुल क्षेत्रफल—1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 6,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हर्षित शर्मा, प्रोफराईटर उपरिषद हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई तो
2. समिति का नत है कि पूर्व में खनिज साधन विभाग से खनन हेतु अनुमति में अधिरोपित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत लालपुर का दिनांक 27/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — गोप्तिकेशन्स ऑफ द अप्रूक्ष माईनिंग प्लान एण्ड गोप्तिकेशन्स एड्युकेशन कलोलार प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियन्त्रक,

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक रायपुर/ पुप/ खानो-1288/ 2021-रायपुर/ 223, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.479 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 860/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आवेदित स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम यीसे भट्टिर अस्पताल, रक्फूल, पुल, रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होम निर्मित नहीं हैं।
7. भूगि एवं लीज का विवरण – यह हासानीय भूगि है। पूर्व में लीज स्व. श्री योगेन्द्र शर्मा के नाम पर है। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 08/06/2020 को श्री हर्षित शर्मा के नाम पर किया गया है। लीज छीड़ 20 वर्षों अवधि दिनांक 30/07/2002 से 29/07/2022 तक की अवधि हेतु ऐध है। तत्पश्चात् लीज छीड़ 30 वर्षों अवधि दिनांक 30/07/2022 से 29/07/2052 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-लालपुर 610 मीटर, रक्फूल ग्राम-खुर्द 100 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-डॉदेखुर्द 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 270 मीटर दूर है। लालाप 740 मीटर एवं नहर 330 मीटर दूर है। बरसाती नाला 3.4 कि.मी. एवं खालाम नदी 16 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जौविविधित संवेदनशील होम – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण घोड़ द्वारा घोषित फ्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौविविधित क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. स्थानम संपदा एवं खानन का विवरण – जियोलॉगिकल रिजर्व 68,550 टन, गाइनेबल रिजर्व 47,840 टन एवं लिक्वहरेबल रिजर्व 46,883 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर औड़ी रीगा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,720 वर्गमीटर है। ओपन कर्स्ट सेमी मेहोनाइज्ड रिप्टि से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित ऊंचिकतम महराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में कृपटी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 380 घनमीटर है। यैव की कूंचाई 1.5 मीटर एवं छीड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.97 वर्ष है। लीज क्षेत्र में झार रथापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेम ड्रिलिंग एवं जंटोल स्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिङकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

क्रम	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
------	-------------------------

2021–22	6,000
2022–23	5,640
2023–24	5,250
2024–25	5,600
2025–26	5,880

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बायत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. यूक्तारोपण यार्थ – लीज क्षेत्र की सीमा में छारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 780 नग यूक्तारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के छारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी शेबफल 3.720 घनमीटर में से 2,380 घनमीटर क्षेत्र 2 मीटर गहराई तक उत्खनित है। जिसका उत्तरेष्य मार्गिनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय रवौद्धि की शर्ती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक दखात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तुतीकरण के दीर्घान बताया गया कि ईआईए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर 2021 से किये जाने हेतु उनके द्वारा पूर्ति में दिनांक 14 / 12 / 2021 को सूचना दी गई।
16. प्रस्तुतीकरण के दीर्घान बताया गया कि कलस्टर क्षेत्र में शामिल श्री अंगिलेश कुमार सिंह, मेसाल लालपुर लाईन रूटोन माईन को पूर्ति में दिनांक 15 / 02 / 2019 को टीओआर जारी की गई है। ईआईए. स्टडी हेतु वैसलाईन डाटा कलेक्शन संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा किया गया है।
17. उत्तरेष्यमीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्गिनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्ती जारी की गई है। इस कानूनक VIII (i) के अनुसार,-
- “The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”
- उक्त मानक शर्ती के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर छोड़े सोपटी जीन में यूक्तारोपण किया जाना आवश्यक है।
18. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल वैय, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभासी उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कलार्यालय कलेक्टर (खण्डन जारा), जिला—रायपुर को इनपन क्रमांक 860 / ख.वि. / तीन-६ / २०२१ रायपुर, दिनांक २८/०९/२०२१ के अनुगाम आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित १ खदान है, जिसका क्षेत्रफल ४.४७९ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—लालपुर) का रक्कड़ा १.२१४ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—लालपुर) को निलाकर कुल रक्कड़ा ५.६९३ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का कलराटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. नाईन लीज क्षेत्र के जारी और ७.५ मीटर छोड़े सेपटी जाने की कुछ भाग में किये गये उत्तराधिन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापी के कारण उत्तराधिन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षाशोपण आदि के लिये समर्थित उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा रुमिकार्म, इटाकरी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (उत्तीर्णगढ़) से जानवरी प्राप्त की जाए।
3. प्रतिबंधित ७.५ मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तराधिन विन्या जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालयक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकारी एवं पर्यावरण को हाति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण गंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही विन्ये जाने हेतु निर्देशित विन्या जाए।
4. समिति द्वारा विचार विभासी उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी१' के टैगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, २०१५ में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स (टीओआर) पॉर इ.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेस अफ्फर इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, २००६ में वर्तीत श्रेणी १(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iii. Project proponent shall complete the restoration of ७.५ meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.

- v. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को सम्पन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं जीट किया गया कि भारतीय स्थान छूरी, रायपुर द्वारा अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान से वर्ष 2012–13 से उत्पादन नहीं किये जाने का उल्लंघन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाजी उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्थीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टमर्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अनिवार्यता शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया।

"Project proponent shall submit previous year production details from mining department."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज लोअर के शारी ओर 7.5 मीटर ऊंचे रोपटी छोन के कुछ भाग में किये गये उल्खनन के कारण इस लोअर के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लोअर के अंदर मार्डिनिंग कियाकरातीपी के कारण सुल्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा गुणारोपण आदि को किये सनुषित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए तथा प्रतिवर्ष 7.5 मीटर ऊंची शीमा पट्टी में अवैध उल्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं पर्यावरण को लिए पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र द्वेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टमर्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लिखा जाए।

13. मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरीद लाईन रटोन माईन), याम-तरीद, राहसील-अकलतारा, जिला-जांजगीर-चापा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1597)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रधोजन नम्बर – एसआईए/सीटी/एमआईएन/203140/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से इापन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु मिट्टियां किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित बूना पत्थर (खनिया) खदान है। खदान याम-तरीद, राहसील-अकलतारा, जिला-जांजगीर-चापा रिक्षत खदान क्रमांक 885/1, 885/2 एवं 888/1घ, कुल क्षेत्रकल 1.311 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन हामता-30.542.5 टन प्रतिघर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के इापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

(अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शांत कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के सबैध में याम पंचायत तरीद का दिनांक 10/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत याम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में छापार का उल्लेख नहीं है।
- उत्खनन योजना — क्षारी प्लान इन्हायरोमेट मैनेजमेट प्लान एड ज्यारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संधालक (खनि प्रश्ना) जिला-कोरका के इापन क्रमांक 337/खनि/उ.यो.अ./2017 कोरका, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिया शाखा), जिला-जांजगीर-चापा के इापन क्रमांक 5929/ख.लि./न.क./2020-21 जांजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 71 खदान, एकबा 119.085 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/सरबनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिया शाखा), जिला-जांजगीर-चापा के इापन क्रमांक 5175/खनि/न.क./2020-21 जांजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम जैसे भवित, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकर, शाजमार्ग, चाषीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्धित होम निर्मित नहीं है।

- मूर्मि एवं एलओआई संबंधी विवरण – मूर्मि आवेदक के नाम पर है। एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), जिला-जांजगीर-चापा के छापन इलाके 4904 / गोण खगिज / न.क्र./ 2020-21 जांजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जिसकी फैसला जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई की फैसला समाप्त हो गई है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी जांजगीर चापा बनमण्डल, चापा के छापन इलाके/तकांगी/ 6767 चापा, दिनांक 20/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 25 किमी की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण नांदवनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-तरीद 0.53 किमी, रक्कुल ग्राम-तरीद 1 किमी, एवं अस्पताल अकालता 7.5 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.45 किमी, एवं राजमार्ग 24.4 किमी, दूर है। तलाब 50 मीटर एवं नहर 216 मीटर दूरी है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता रांवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी, दी परियोजने में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटिकली पौल्युस्टेल एरिया, पारिस्थितिकीय रांवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,73,562 टन, माईनिंग रिजर्व 2,03,112 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 1,92,956 टन है। लीज की 7.5 मीटर गोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,110 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेंकोनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहनाई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी गिट्टी की गोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 3,565 घनमीटर है। देंव की ऊपराई 3 मीटर एवं गोटाई 3 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्लाशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,870 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिटंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का हिलुकाय किया जाएगा। यथावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,103.13
द्वितीय	30,542.50
तृतीय	30,281.25
चतुर्थ	14,982.50
पंचम	15,140.63

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
पाष्ठम	15,461.25

संपादन	14,250.00
अधिकारी	14,071.88
नवम	14,038.25
दशम	14,107.50

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 एकड़ीटर द्वितीयदिन होगी। जल की आपूर्ति टैक्सर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज लैन की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज लैन के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
15. मानवीय एन्जीटी, प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पार्किंग विकास भारत सरकार, पर्यावरण, घन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एक्सिकोशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 को पारिश आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शासा), जिला-जांगनीर-चांपा के इकायन क्रमांक 5029/ख.लि./म.क्र./2020-21 जांगनीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदाने रकमा 119.085 हेक्टेयर है। आयोदित खदान (घाम-तरीद) का रकमा 1311 हेक्टेयर है। इस प्रकार आयोदित खदान (घाम-तरीद) को नित्यावान कुल रकमा 120.396 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिहित में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से ऊपर का कलमटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्तरम 'बी' के टैगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, घन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टमर्स ऑफ रिपोर्टरी (टीओआर) पॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एकटीडिटील रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट कलीयरेस अपडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में पर्याप्त श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई।
- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the copy of extended LOI.
- v. Project proponent shall submit the Gram Panchayat NOC for Crusher.
- vi. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.
- vii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा नैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघन 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार ठिमर्हा उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लौक सुनावाई शहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

14. मेसर्स कृष्णा मिनरल्स (पार्टनर- श्री आनंद रालगिया एवं श्री कृष्णा अच्युताल, किरारी लाईग स्टोन माईन), शाम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जाजगीर-चाँपा (शाखिवालय का नस्ती क्रमांक 1599)

**ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/203063/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से इनपन दिनांक 19/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांधित जानकारी दिनांक 15/12/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।**

**प्रस्ताव का विवरण –** यह पूर्व से संबंधित छूना फालर (गोण स्थानिज) खदान है। खदान शाम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जाजगीर-चाँपा स्थित खस्ता क्रमांक 793/15, 793/18, 792/1, 791, 792/2, 792/3 एवं 792/4, कुल क्षेत्रकल – 1.62 हेक्टेयर में है। खदान की आयोगित उत्तरानन कमता-43,420.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रवक्तावक को एस.ई.ए.सी., सल्लीलालगढ़ के झापन दिनांक 25/03/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### बैठक बज विवरण -

##### (अ) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 31/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप अद्यवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विषयों पाई गई-

##### 1. पूर्व में जारी पश्चावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण:-

- i. इस खदान को पूर्व में पश्चावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- ii. विगत वर्षों से विए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खण्डित दिनांग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति का मत है कि पूर्व में खण्डित दिनांग से खनन हेतु अनुमति में अधिकैपित शती के पालनार्थ की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

##### 2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किनारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक सहित पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

##### 3. उत्खनन योजना - क्यारी प्लान इन्हायटोमेट मैनेजमेंट प्लान एंड क्यारी वलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है। जो उप सचालक (खण्डित प्रक्र.) जिला-प्रोरका के झापन दिनांक 333/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरका, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

##### 4. 500 नीटर की परिधि में रिथत खदान - कार्यालय कालेक्टर (खण्डित शाखा), जिला-जाजगीर-चांपा के झापन दिनांक 9930/खणि./न.क./2020-21 जाजगीर दिनांक 26/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 नीटर के भीतर अवस्थित 71 खदाने, रक्का 118.776 हेक्टेयर हैं।

##### 5. 200 नीटर की परिधि में रिथत रावेजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कालेक्टर (खण्डित शाखा), जिला-जाजगीर-चांपा के झापन दिनांक 5172/खणि./न.क./2020-21 जाजगीर दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 नीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, साजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।

##### 6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - कार्यालय कालेक्टर (खण्डित शाखा), जिला-जाजगीर-चांपा के झापन दिनांक 4913/गौण खण्डित/न.क./2020-21 जाजगीर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी विधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रवक्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की विधता समाप्त हो गई है।

##### 7. भू-स्थानिक्य - खसरा दिनांक 793/15, 793/18, 792/1 श्री दाढ़ा अद्यवाल एवं खसरा दिनांक 791, 792/2, 792/3, 792/4 श्री आनद डालनिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु पार्टनरशीप शीक ली प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – कर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुता की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कलारीलग उनमण्डलाधिकारी जाजगीर चांपा उनमण्डल, चांपा के शाषन क्रमांक/तकाल्पि./8000 चांपा, दिनांक 15/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. गहत्त्वपूर्ण रारबनाओं की दूरी – निकटतम आधारी ग्राम-किलोमीटर 1.9 कि.मी., रखूल ग्राम-किलोमीटर 2.25 कि.मी. एवं अस्यताल अकलतारा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय साजमार्ग 2.1 कि.मी. एवं साजमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। नहर 50 मीटर दूरी है।
11. पारिसिध्दिकीय/जौविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परियोजने में अतर्सीज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयास्थान के नदीय प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्लिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – जियोलोजिकल रिजर्व 9,12,250 टन, मार्फनेवल रिजर्व 3,33,347 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,16,680 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,165 घनमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड यिथि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। सीज क्षेत्र में ऊपरी पिट्टी की गोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 6,781.5 घनमीटर है। बैच की ऊपरी 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार रसायनित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं एक्सारिटेंस किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिरकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	43,420.94
द्वितीय	43,420.94
तृतीय	39,992.63
चतुर्थ	39,850.13
पंचम	39,900.00

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
पहला	22,443.75
द्वितीय	21,966.38
अष्टम	21,795.38
नवम	22,087.50
दशम	21,802.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज लोअर की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 831 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन – लीज लोअर के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी सेक्टरफल 4,165 वर्गमीटर ने से 1,526 वर्गमीटर लोअर ओर 8.5 मीटर गहराई तक उत्थनन है। जिसका उल्लेख मार्फतिन प्राप्ति में किया गया है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्फतिन प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार –

*"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."*

उक्त मानक शर्त के अनुसार मार्फतिन लीज लोअर के अंदर 7.5 मीटर छोड़ी सेपटी जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., विसिपल बैंग, नहीं दिल्ली द्वारा सत्यें पापडें विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एडिशन क्र. 186 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कल्यालिय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जाजगीर-चापा के इष्टान क्रमांक 5930 / खनि./ न.क्र./ 2020-21 जाजगीर दिनांक 26 / 03 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 71 खदानों रकमा 118.776 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-किराई) का रकमा 1.62 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-किराई) को मिलाकर कुल रकमा 120.398 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिणी में रुपीकृत / संचालित खदानों का कुल लोअरफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलवटर निर्मित होने के कारण यह खदान "यौन" क्षेत्री की मानी गयी।
2. मार्फतिन लीज लोअर के चारों ओर 7.5 मीटर छोड़ी सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्थनन के बारण इस लोअर के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लोअर के अंदर मार्फतिन कियाकल्पायों के कारण उत्थन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों

बाबत संचालक संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, ज़िला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. प्रतिवर्षित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्थानम दिया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रकल्पक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालनक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण की काली पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
4. निमिति द्वारा दिया गया उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रबलरण 'बी1' कोटेजरी या होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर्ट ईआईए /ईएमपी रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिकवायरिंग इन्वेस्टिमेंट क्लीयरेंस अप्पल ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में दर्जित अंगठी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल मार्फिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
  - v. Project proponent shall submit previous year production details from mining department.
  - vi. Project proponent shall submit the point wise compliance report of previous permission for mining from the mining department.
  - vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed extension.
  - viii. Project proponent shall obtain due permission / authorization from DGMS for controlled blasting & incorporate the permission copy in the EIA report.
  - ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery were previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
  - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
  - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
  - xii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

- xiii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/06/2022 को सम्पन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि विभाग वर्षी में किए गए उत्खनन की वारतविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि** विभाग वर्षी में किए गए उत्खनन की वारतविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

15. मेसर्स कृष्णा आगरन स्टीम्स एण्ड ट्रॉब्ल प्राइवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, गाम-सारोरा, तहसील व ज़िला-रायपुर (रायवालव का नस्ती क्रमांक 622)

**ऑनलाईन आवेदन —** पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609 / 2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। यर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 2211170 / 2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण —** परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत गाम-सारोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ज़िला-रायपुर विधान प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल — 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाधत आवेदन किया गया है—

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाहित संशोधन स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाहित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
विसेट्स/इंगाट	1,20,000	—	1,20,000
सी.सी.एस. एवं हॉट चार्ज आवारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-लीटिंग कर्नेस आवारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाचित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाचित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्रस्ट	1,20,000	—	1,20,000
गैल्फेनाइजिंग ऑफिस पाईप एण्ड ट्रस्ट एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	—	34,600
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600	—	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रूपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर विधान प्लाट नम्बर 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल - 2.667 हेक्टेयर (8.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:-

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विधि सी.सी. एम. से विलेट्स/इगाट उत्पादन हेतु रोलिंग मिल से री-रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
एम.एस. पाईप एण्ड ट्रस्ट गैल्फेनाइजिंग ऑफिस पाईप एण्ड ट्रस्ट एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
फेब्रिकेशन यूनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हीट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विधि सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन विलेट री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लाट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपरिधात हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में खिंचवाही होने के कारण

दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनरपरिचय कर समिति के समझा आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निष्पत्र लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ति में खाली गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुरक्षण ज्ञानकारी / दस्तावेज राहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तरीशांग के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु रूचित किया गया।

(ब) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एम.पी.आई. इन्वायरोंट्राईट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से भी निश्चिल आहुजा उपसिध्त हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई—

### 1. लैण्ड एरिया स्टैटमेंट —

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Area	2,800	10.05
2.	Rolling Mill	4,000	15.02
3.	GI Pipes & Fabrication unit	4,868	18.23
4.	Raw Material Yard	2,000	7.51
5.	Finished material & slag yard	1,500	5.63
6.	Road Area	900	3.40
7.	Open Area	1,800	6.70
8.	Greenbelt	8,802	33.01
Total		26,670	100

### 2. रो-मटरियल —

S. No.	Raw Material	Existing Quantity	After Amendment Quantity
1.	Sponge Iron	1,14,000 TPA	1,14,000 TPA
2.	Scrap	24,000 TPA	24,000 TPA
3.	Alloys	1,200 TPA	1,200 TPA
4.	Coal	5 TPD	30 TPD
5.	Lime	-	63 TPA

3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — वर्तमान में इण्डियान फर्नेस एवं रिहाइटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल लस्ट वालेशान सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित सशोधन उपरात रिहाइटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पीटीएफडी बेग फिल्टर एवं 33 नीटर ऊंची छिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 ग्रीनहाउस/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। पश्चिमाइंडिंग प्लाट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पश्चिम एवं साउथेशान सिस्टम एवं 33 नीटर ऊंचाई की छिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित सशोधन उपरात अपनाई जाएगी।

4. समिति के सङ्गान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की भावा का उल्लंघन किया गया था एवं वर्तमान

में परियोजना प्रस्तावक हावा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी चर्चावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में मिशनता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना प्रस्तावक हावा के दौरान बताया गया कि जारी चर्चावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ. उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु एक इनलैट के पहले लाईम डोसिंग इवाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ. उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
6. ठोका अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - प्रस्तावित संशोधन उपरात रोलिंग मिल से स्लेग - 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूरूल ऑयल - 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज - 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐसा - 13 टन प्रतिदिन ठोका अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूरूल ऑयल को अधिकृत रिसाईबलर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को रीमेंट चाहौग को विक्रय किया जाएगा। ऐसा को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल उपरात एवं बन्धोत्त - बर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरात परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट स्प्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बैल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बॉटर अधीरिटी हावा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। बर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के मान्यम से की जाती है। प्रस्तावित बायोकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरात प्राप्त दूषित जल को छोड़ बार पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (चुट्टिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। बर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेटिंग टैक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरात घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीपेज ट्रीटमेंट प्लाट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।
- रेन बॉटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षी के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन बॉटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, ऊँचाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन बॉटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था परमात् परिसर

के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्टॉक्सर्स इस प्रयत्नार मिशन में गये हुए थे कि इनमें समान मात्रा में दर्पण जल का बहाव हो सके।

- विद्युत खपत - कर्तीमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग कापनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के लीए (02 नग \* 75 को लीए) का लीची सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संसोधन उपरात अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सौलर प्लाट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सौलर प्लाट की कमता एवं फोटोव्हाइट्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - वृक्षारोपण संबंधी जानकारी - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बतीमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल को 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण को स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/- जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उत्तीर्ण परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण को रखा-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।
  - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु रखल निरीक्षण उपरात निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09
			Running Water Facility for Toilets	1.80
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
			Plantation with Fencing	1.00
			Total	10.64

प्रस्तापित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) सारांशकीय प्राथमिक शाला चान-खुडमुली, (2) सारांशकीय शाला चान-खांगेश्वरे (3) सारांशकीय शाला

ग्राम—गोदागोर, (4) शासकीय शाला ग्राम—बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम—भूस्कोटी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम—माधी, (7) शासकीय शाला ग्राम—निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम—समगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम—भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम—मेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के सङ्घान ने यह तथ्य आया कि उत्तराखण में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनजी बैलेस, बॉटर बैलेस एवं री—मटेरियल बैलेस बाट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराखण राजीवरामणि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की विनुदार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. उत्तराखण में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनजी बैलेस, बॉटर बैलेस एवं री—मटेरियल बैलेस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन की मात्रा का उत्तराखण विभाग गया था एवं उत्तराखण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्तरार्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का गत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लाट की क्षमता (फोटोव्होप्सन सहित) एवं रेन बॉटर हार्डिंग स्ट्रक्चर की फोटोव्होप्सन प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की अपूर्ति हेतु सेन्डल चारुण्ड बॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.इ.ए.री, छलीसागढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कारबे पर निम्नानुसार सिद्धांत पाई गई थि:-

1. जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की विनुदार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. उत्तराखण में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनजी बैलेस, बॉटर बैलेस एवं री—मटेरियल बैलेस प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रदूषण भार संबंधी जानकारी — पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में इण्डक्शन फर्नेस-1, रि-हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्तरार्जन 30 मिलीमीटर/सामान्य धनवीटर के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 4,104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त इण्डक्शन फर्नेस-1, रि-हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्तरार्जन 25 मिलीमीटर/सामान्य धनवीटर के अनुसार उत्तरार्जन की मात्रा 3,402 कि.ग्रा.

प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरान्त प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा हृत्य निस्सारण की स्थिति स्थित जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरान्त रोलिंग मिल से स्लेग - 17,100 टन प्रतिवर्ष, युवर औद्योगिक - 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लेज - 153 टन प्रतिवर्ष एवं रेजा - 13 टन प्रतिदिन छोस अपशिष्ट की रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी छोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार हमता विश्वार उपरान्त (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिक्युलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले छोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनरुपयोग / विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभायिता है जिसकी प्रतिष्ठानी हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रमउंफ (18,313 घनमीटर) का संगम में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

4. उत्पन्न होने वाले टॉस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनरुत्पयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत उच्चोग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
  5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोव्हायप्स सहित) एवं रेन वॉटर हार्डिंग स्ट्रक्चर की फोटोव्हायप्स प्रस्तुत की गई है।
  6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी के दिनांक 06/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसरसे लक्ष्मा आदरन स्टूप्स एण्ड ट्रॉफ्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सरोरा, उत्तराखण्डीयोगिक क्षेत्र, जिला-लखमुर स्थित प्लाट नं. 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल - 2667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने वाली अनुशासा की गई:-

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित कमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाचित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वाचित संशोधन उपरात प्रस्तावित कमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स / इंगाट	1,20,000	—	1,20,000
सी.सी.एन. एंड हॉट पार्क आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-हॉटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्रूफ्स	1,20,000	—	1,20,000
गिल्डेनड्रिजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्रूफ्स एण्ड कोड्रिकेटेड आईटीसी	34,600	—	34,600

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित कागदा (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वालित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वालित संशोधन उपरात प्रस्तावित कागदा (टन प्रतिवर्ष)
फैब्रिकेशन युनिट	34,600	-	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रबन्धन पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघर्ष 122 की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

- छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मन्त्रालय के ज्ञापन दिनांक 16/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिललता एवं बोरझारा क्षेत्रों में नये नमज आयरण प्लाट एवं कोयला आधारित विद्युत लापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाबत पत्र जारी किया गया था। तत्परतात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मन्त्रालय के ज्ञापन दिनांक 07/07/2012 द्वारा राज्य विवेच प्रोत्साहन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यकारी विवरण से अवगत करता हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित री-हीटिंग फैलेंस एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरात री-हीटिंग फैलेंस में वील्युमेट्रिक पल्टी रेट (7.06 सामान्य घनमीटर प्रति सेकंड) का ढाटा समान लिया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से रोमय नहीं है। अतः उपरोक्त के परियोजने में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एनजी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी हेतु विद्युत खपत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरात एनजी बैलेंस एवं हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरात रावरामति रो उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरात उपयुक्त अनुसंसा किये जाने हेतु प्रबन्धन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसास शौर्य इरपात लॉग प्राईवेट लिमिटेड, चाम-किरना, तहसील-तिलदा, जिला-रायपुर (संविचालय का नस्ती क्रमांक 1560)

ओनलाइन आवेदन - प्राप्तीजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60949 / 2021, दिनांक 18/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्राप्तीजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 60948 / 2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा शमता विस्तार के तहत गाम-किरना, तहरील-तिल्दा, ज़िला-रायपुर सिथत खसरा कर्नाक 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल – 11,065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) ने इष्टवशन कर्नास से (एम.एस. बिलेट/ हॉट बिलेट्स) – 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3.27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट वार्ज आपारित रोलिंग निल (टी.एम.टी./ वायर रोल/पत्रा एवं अन्य री-रोल्ड प्रोसेस्ट) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3.21,750 टन प्रतिवर्ष, लोल गैसीफायर – 1 गुणा 6,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा एवं गैस्टोनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर, वाईडिंग वायर, वेल मेज, बैन लिंक, बारबेल वायर, वेल्ड मेज, स्टैंड वायर, कोल्ड डिप, रेफलीफायर, वायर कलोध) – 1.00,000 टन प्रतिवर्ष की परावर्तीन स्थीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रमाय की उपरात विनियोग की कुल लागत 37 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/06/2021 द्वारा प्रकरण नं.-1 कोटेश्वरी का होने के क्षयण भारत सरकार के पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मञ्चात्मय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टनसी ओफ रिफरेन्स (टीओआर) कोर इआईए/इएमपी रिपोर्ट कोर प्रोटोकल्स/एचटीविटीज रिक्वायरमेंट वलीयरेस अप्लर इआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित शेषी 3(ए) का रटैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालप्रिंकल इण्डस्ट्रीज (केरसा एण्ड नीन-हैरस) हेतु जारी किया गया।

### **बैठकों का विवरण –**

#### **(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष शौरभ कोडिया, हॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेंसासी पार्टीमियर इन्वायरंस लेवोरट्रीज एण्ड कम्प्लेटेन्ट ग्राइंडर लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई—

#### **1. जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार नंबर, रायपुर से री-रोल्ड प्रोडक्ट्स (थू. इष्टवशन कर्नास) क्षमता-30,000 ग्रीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा गैस्टोनाईजिंग यूनिट (एच.बी. वायर, जी.आई. वायर वाईडिंग वायर, वेल मेज, बैन लिंक, बारबेल वायर, वेल्ड मेज, स्टैंड वायर, कोल्ड डिप, रेफलीफायर, वायर कलोध) – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 10/09/2020 को जारी की गई है, जो उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु तैयार ही।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुपार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

#### **2. निकटतम रिथत कियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आवादी ग्राम—महर लखा 0.9 कि.मी., रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 4.4 कि.मी. की दूरी पर रिश्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। कुल्हन नाला 5.1 कि.मी. की दूरी पर है।
  - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राधान, अभयारण्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युएशन एरिया, पारिसंरक्षितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवशिक्षण क्षेत्र रिश्त नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. भू—स्वामित्व — भूमि गेसर्स शीर्ष इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। भूमि संबंधी दस्तावेज खतरा नक्शा (बी—1, पी—2) प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेसर्स शीर्ष इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड को न्यायालय अनुदिभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर के प्रकारण क्रमांक 202102111000103/अ—2 वर्ष 2020—21, आदेश दिनांक 08/03/2021 द्वारा 'भूमि अक्षय कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसृचित के खण्ड 5 में लिये गये अनुसार संशोधित राजसव निर्धारण हो चुका है, जिसकी घटा पिछि पुरिटकरण हो गई है।' ऐसु सूधन पञ्च प्रारूप "अ" जारी किया गया है।
4. लेण्ड एरिया रेटेटमेंट — कुल क्षेत्रफल — 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से ककड़े का क्षेत्रफल 2.85 हेक्टेयर, अंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर तथा हरित परिकल्पना हेतु क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर (34.23 प्रतीक्षा) है।
5. रो—मटेरियल —

Quantity of Raw Material, Sources and Mode of Transport				
	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode of Transport
1	<b>For Induction Furnace (MS Billets / Ingots / Hot Billets) - 2,97,000 TPA</b>			
A)	Sponge Iron	2,47,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
B)	Scrap	1,06,000	Raipur	By Road (through covered trucks)
C)	Ferro Alloys	4,500	Raipur	By Road (through covered trucks)
2.	<b>For Rolling Mill (TMT / Wire Rod / patra / and other Rerolled Products) – 2,91,750 TPA</b>			
A)	MS Billets/ steel ingots	3,12,100	Own generation	-
3	<b>Coal Gasifire (Producer gas - 6,500 Nm<sup>3</sup>/ hour)</b>			
A)	Coal	Indian Coal 21,500	SECL	By Rail & Road (through covered trucks)
		or		
	Imported Coal	13,700	Indonesia / Australia	By sea route, By Rail & Road (through covered trucks)

## ६. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit	Existing Capacity (TPA)	Proposed Additional Facilities	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Induction Furnace (MS Billets / Ingots Hot Billets)	30,000 (By 2x5 T Induction Furnace & 1x90 TPD Rolling Mill)	2.97,000 (6x15 T)	3.27,000 (2x6 T & 6x15 T)
2.	Rolling Mill (TMT / Wire Rod / Patra / and other recilled products )		2.91,750 (Upgradation of 90 TPD to 325 TPD & New 2 x 325 TPD)	3.21,750 (3 x 325 TPD)
3.	Coal Gasifier	-	1 x 6,500 NM <sup>3</sup> /Hr	1 x 6,500 NM <sup>3</sup> /Hr
4.	Galvanising unit (HB wire, GI wire, Binding wire, Weld mesh, Chain Link, Barbed Wire, Weld Mesh, Stay Wire, Cold Dip, Rectifier, Wire Cloth)	1,00,000 TPA	-	1,00,000 TPA

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रोल्ड ग्रीडकट्स का सत्पादन 85 प्रतिशत हीट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत रि-हीटिंग फॉर्मेस कोल मैसीफायर आधारित रोलिंग मिल से किया जाएगा।

७. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – इण्डियन फॉर्मेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पश्चम एक्सट्रोक्सन रिसर्ट्स के साथ ३ नम बेग फिल्टर एवं ३० मीटर ऊंची विनामी स्थापित किया गया है। रि-हीटिंग फॉर्मेस कोल मैसीफायर आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ४७ मीटर ऊंची विनामी स्थापित किया गया है। उक्त इकाईयों से पार्टिक्युलेट मेटर का उत्सर्जन ३० मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। पश्चिमी इस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिन्हकार की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रमपर हेतु भी अपनाई जाएगी। हीट मैस फारिंग के द्वारा प्रस्तावित मैसीफायर का संचालन किया जाएगा। फिनॉलिक बोटर उत्पन्न नहीं होता।

## ८. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Quantity (In TPA)	Method of Disposal
From Induction Furnace			
1.	Slag	29,700	Slag from SMS will be Crushed and Iron will be recovered and remaining non magnetic material being inert by nature will be used as sub base material in road

			construction/ will be given to brick manufacturer.
<b>From Rolling Mill</b>			
1.	Mill Scales	3,501	Mill Scales will be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit.
2.	End Cutting	11,085	Recycled back as raw material in own induction furnace.
<b>From Gasifier</b>			
1.	Tar	461	Will be given to Tar recyclers/ Agencies Engaged in construction Activities/ given to nearby Pellet plant units.
2.	Cinder	9,680	Will be given to cement plant.

### 9. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल स्थापत एवं स्त्रोत — वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 52 घनमीटर प्रतिदिन (गैल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 412 घनमीटर जल प्रतिदिन (इण्डस्ट्रियल फर्नेस हेतु 130 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 190 घनमीटर प्रतिदिन, कोल मीसीफ्लायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, गैल्वेनाईजिंग इकाई हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू—जल से की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल की आपूर्ति भू—जल से किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वीटर अर्थात् द्वारा 15,130 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 03 / 12 / 2023 तक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपयोगित जल को छह से नौ दिन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेंट्रिक टैक एवं सोकपिट मिमिचि किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन कामता का सीधेज ट्रीटमेंट प्लॉट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
- भू—जल उपयोग प्रबंधन — परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार रोक जोन ने आता है। जिसके अनुसार—  
 (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःउपयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।  
 (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिकिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू—जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उठोग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- \* रेन बॉटर हार्डिंग व्यवस्था - उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनओफ 36,425 घनमीटर है। रेन बॉटर हार्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज मिट (व्यास 4 मीटर, महराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन बॉटर हार्डिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनओफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित होंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव ही रहे।
  - 10. विद्युत आपूर्ति रचीत - परियोजना हेतु 33.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छतीसगढ़ सर्व विद्युत विभाग कापनी लिमिटेड द्वारा की जाती है। एकलिंगक व्यवस्था हेतु ढी.जी. सेट स्थापित है। समिति का मत है कि स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरात् विद्युत की मात्रा एवं आपूर्ति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - 11. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी - हरित पटिकाना को कियास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.78 हेक्टेयर (34.23 प्रतिशत) क्षेत्र में 20 मीटर से 40 मीटर ढी.जी. पट्टी में 2,500 नग प्रति हेक्टेयर पौधे संप्रित किया जाना प्रस्तावित है।
  - 12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण -
    - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 फि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर भिट्टी की नमूने एकाग्रित कर विश्लेषण किया गया है।
    - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम., 12.6 से 39.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम., 20.7 से 65.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ, 6.2 से 10.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ, 7.3 से 19.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में ढी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 68.65 माईक्रोग्राम/घनमीटर दी.वृद्धि, ढी.जी. सेट से सहज डाईऑक्साइड यी. मात्रा 14.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एनओ, 7.3 की मात्रा 28.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।
    - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
    - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41 ढी.बी.ए से 54 ढी.बी.ए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32 ढी.बी.ए से 41 ढी.बी.ए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानकों के अनुकूल है।
    - v. भारी बाहनों / मल्टीएक्शन तैयी बाहनों को शमाइत करने के लिए ट्रैकिंग अवधारण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 2,590 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3,232 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी टी-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सहक मार्ग की लोड कैरिङ क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।
  - 13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - 'परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु चापयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति जो मत है कि 'परियोजना' के तहत प्रांखला

कर औपल, नीम, आम, अजून, खेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरात स्थायीभूत स्थान (खासरावार विवरण सहित) में कृषीरोपण हेतु पौधों, फ़ेसिंग, खाद एवं रिंबाई जथा रख-रखाव के लिए ८ बर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यवहार का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही रक्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (रक्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार) एवं उनके रख-रखाव हेतु आलमिता का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिशित किया गया है।

14. लोक सुनवाई का विवरण — लोक सुनवाई दिनांक 23/09/2021 प्रातः 11:00 बजे, स्थान — ग्राम—विल्ला, तहसील—तिल्डा, ज़िला—शायपुर ने संघन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संघिय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मंडल, नवा शायपुर अटल नगर, ज़िला—शायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उतारे गये विभिन्न मुद्रों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंगैरी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि जन सामाज्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. क्षमता विवरण उपरात परियोजना के विभिन्नों की कुल लागत 37 करोड़ होना चाहिया गया है, जिसका ब्रैक—अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्वाचित लिया गया था—**

1. वर्तमान स्थिति में विभिन्नों की कुल लागत का ब्रैक—अप प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मंडल द्वारा जारी शामिल शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. उद्योग की रथापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज खासरा नवज्ञा (वी—१, पी—२) प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में एवं क्षमता विवरण उपरात उद्योग का लेण्ड एरिया रेटेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
6. यात्रा प्रदूषण विवरण हेतु रोलिंग मिल में स्थापित इकाईयों एवं डिमनी की जगता सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत अभिकर्तों की संख्या के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. परिवहन, कल्यान माल वा लौहिंग—अनलोहिंग, सभी ट्रांसफर पाईट्स, जनवेयरिंग पाईट्स, भारी आदि से होने वाले यूल उत्सर्जन के विवरण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. डिमनी से पाटिकुलेट मेटर का उत्सर्जन ३० मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रुनिशिवत रिये जाने वाले विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार में डिमनी वृद्धि होनी व्यष्ट रूप से बताया जाए।
10. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरात हीट बैलेंस, एनजी बैलेंस, री—मटेरियल बैलेंस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्रस्तुत किया जाए।

11. उद्योग के विभिन्न इकाईयों तथा 40 प्रतिशत यूक्तारोपण को दर्शाते हुए ले—आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
12. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में यूक्तारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यूक्तारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फॉर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यव का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विद्युत की नामा एवं आपूर्ति की जानकारी तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सीट राखेंगी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
14. लोक सुनवाई में लड़ाये गये मुद्रा के निराकरण को दिशा में प्रवर्तायित कार्यवाही की बार्य योजना सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव “परिव्र बन” के तहत (आवला, बढ़ दीपल, गीम आम, अर्जुन, बैल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खासतावार विवरण सहित) में यूक्तारोपण हेतु पौधों फॉर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप) एवं उनके रख—रखाव हेतु आलगिरा का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
16. गैसीफायर वर्ति तकनीकी (किंतु फौजसे से कितना गैस उत्पन्न होगा) जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोल लैंडिंगिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
17. इप्हवान पानीस में प्रक्रिया के दौरान एनजी बैलेस एवं मटेरियल बैलेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही इप्हवान पानीस का विस्तृत विवरण एवं उससे जमित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर चलाऊन की विस्तृत मानना कर प्रस्तुत की जाए।
18. उद्योग को प्राप्त होने वाले रो—मटेरियल के राप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
19. छत्तीमान प्रस्तुत प्लाट ले—आउट ने लेडल फॉर्नेस दर्शाया गया है, जबकि औनलाईन आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव में लेडल फॉर्नेस का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। साथ ही प्लाट ले—आउट में लागी इकाईयों को रपट दर्शाते हुये संलोधित हो—आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।
20. उपरोक्त वाहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगानी कार्यवाही की जाएगी।

लदान्नुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (ब) समिति की 40वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्दांत पाई गई:-

- पर्यावरण नियंत्रिति में निमियोग की कुल लागत 4688.47 लाख रुपये का हैक-अप प्रस्तुत किया गया है।
- छत्तीरामगढ़ पद्धतिवर्तन संस्थान मंडल के द्वापन क्रमांक 2331 /मु./ तक. /छ.ग.प. स.न./ 2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/07/2021 हाता वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु की जारी समर्थी रत्नी के पातन में की गई कार्यवाही के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- उद्योग की स्थापना हेतु याम पंचायत किरना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- भूमि रांदधी दस्तावेज स्थान संकला (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया गया है।
- लैण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल - 11.065 हेक्टेयर है, जिसमें से इम्फ़्लॉकन फर्नेस का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, रोलिंग मिल के साथ कोल गेसीफारर का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, मैल्वेनाइजिंग इकाई का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर, स्टोरेज एवं आतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर, बीटर रिजर्वायर एवं रेन बीटर हार्डिंग का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, पार्किंग क्षेत्रफल 0.125 हेक्टेयर, इरित पर्टिकल हेतु क्षेत्रफल 4.426 हेक्टेयर तथा अन्य क्षेत्रफल 1.364 हेक्टेयर है।
- यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 325 टन प्रतिदिन का 3 नग रोलिंग मिल स्थापित किया गया है, जिसमें जिम्मी की फ़लाई 47 मीटर (इण्डियन बोल्ट के लिए) एवं 41 मीटर (इण्वीटेल बोल्ट के लिए) की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 100 है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरात कार्यरत श्रमिकों की संख्या 150 होगी।
- पटियाला, कल्याण माल की लौहिंग-अनलोडिंग, सभी ट्रांसफर पाईट्स, कानेपरिंग पाईट्स, मार्गों आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रतापित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है—

Identified Impacts	Mitigation Measures
Raw Material Transportation	Covered Trucks
Unloading of Raw Material	Dust Suppression System (Fog type and Water Spray System)
Raw Material Conveying	Covered Conveyors to Prevent Flying of Dust During conveying
Coal handling Plant	Dust extraction System with Bag filters
Coal Transfer Points	Dust Extraction System with Bag filters
Stacks Emissions	Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) will be provided to Induction Furnace to bring down the PM to 30mg/Nm <sup>3</sup>
Vehicular Movement	All Internal Roads will be made pucca Avenue Plantation will be Developed on both sides of Villages Roads and Internal Roads

- जिम्मी से पाइंकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रुक्षित किये जाने वाले विस्तृत गणना एवं प्रदूषण भार में वृद्धि संस्थी जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुसार—

**Incremental Ground Level Concentration due to proposed expansion proposal**

Particular	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	SO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	CO ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
Maximum baseline conc. in study area	65.3	10.2	19.5	1,253
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to the proposed expansion	0.86	4.4	5.3	-
Maximum Predicted incremental rise in concentration due to Vehicular emissions from the proposed expansion	0.49	-	3.8	2.1
Net resultant concentration during operation of the proposed expansion	66.65	14.6	28.6	1,255.1

10. वर्तमान में स्थापित हुकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त हीट बैलेस, एनजी बैलेस, शी-मटेरियल बैलेस एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ई.टी.पी. से प्राप्त रस्ते के डाई डिस्पोजल (Dry Disposal) को लिए फिल्टर प्रेस लगाया जाएगा तथा प्राप्त अदृश्य को युक्तारोपण हेतु खाद की स्थि में उपयोग किया जाएगा।
11. उद्योग के दिमित्त हुकाईयों तथा 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में युक्तारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आगामी मानसून में निर्धारित संख्या में पौधों का रोपण किया जाए।
12. कुल ठोकराव के 4420 हेक्टेयर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में युक्तारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। युक्तारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 10,22,490 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 4,86,900 रुपये, खाद के लिए राशि 48,690 रुपये, रस्ते-रस्ताव के लिए राशि 9,73,800 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 25,31,880 रुपये प्रथम वर्ष में एवं इसके अतिरिक्त कुल राशि 17,16,188 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
13. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त विद्युत की मात्रा कुल 33.2 मेगावॉट विद्युत खपत होगी, जिसकी आपूर्ति ऊर्जासंग्रह राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। ऐकलियक व्यवस्था हेतु 500 कॉर्हीए का 1 नग का दी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।
14. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निशाकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य वीडमा सारणीदण्ड प्रपञ्च हिन्दी (tabular form in Hindi) में प्रस्तुत किया गया है। अतः जनसुनवाई के दौरान गुरुत्व रूप से गिम्न सुझाव / विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
  - i. उद्योग से निकले वाली वाले धूए के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
  - ii. दूषित जल की निकासी उद्योग के बाहर करने से जास-पास की क्षेत्र की पासले प्रभावित हो रही है। इस बायत मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- iii. उद्योग द्वारा सामाजिक विकास का कार्य किया जाना चाहिए।
- iv. स्थानीय लोगों को संजागार हेतु प्राथमिकता दी जाए।
- लोक सूनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कार्यन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना शब्दी जानकारी निम्नानुसार है:-
- i. यायु प्रदूषण की रोकथान के लिए इण्डिशन फर्नेस में बेग फिल्टर की स्थापना प्रस्तावित है। रेलिंग मिल को कोल गैसीफायर से संबंधित किया जाना प्रस्तावित है। सभी यायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम होगी।
  - ii. प्रस्तावित इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पाइप में भेजा जायेगा, जहाँ से उसे अलोड यूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्व्यक्ति किया जाना प्रस्तावित है तथा औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथान हेतु पर्यावरण एवं बन मन्त्रालय एवं उत्तरीशांगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जाएगा। दौरान द्वारा मानवता प्राप्त इकाईयों एजेंसियों द्वारा सुधित करने पर हमारे द्वारा समर्पित क्षमितापूर्ति दी जाएगी।
  - iii. सामाजिक उत्थान हेतु आस-पास के निवासियों की सहायता की जा रही है तथा भविष्य में भी डी जाएगी। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना कार्य के दौरान लगभग राहि रुपये 37 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे शाला भवन जीणीद्वारा, निरसारी व्यवस्था, पैदल व्यवस्था, कौशल विकास, उत्तरव्युत्ति, मेडिकल केंद्र तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था आदि कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
  - iv. विकित बेरोजगारी को बोग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

15. लोक सूनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों में से बिन्दु क्षमाक तीन के परिषेक में प्रस्तावित कार्य हेतु विधायी समिति (उद्योग प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीण एवं जिला प्रशासन) गठित कर समिति की नियमानी में प्रस्तावित कार्य कराया जाए।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्भा विस्तार से धर्मा उपरात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at nearby proposed site				
4688.47	1%	46.88	Pavitra Van Nirman	22.07

	Environmental library with almirah in schools	6.00
	Drinking Water facility	5.60
	Running water facilities in schools	1.80
	Plantation in schools	2.48
	<b>Total</b>	<b>37.95</b>

सीईआर के अंतर्गत 'पवित्र दम' के तहत (अंदला, बड़ी पीपल, नीम, आम, अलून, बेल आदि) पूषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,08,180 रुपये, फोलिंग के लिए राशि 2,85,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,45,800 रुपये, रस-रसाय के लिए राशि 3,53,280 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 10,90,260 रुपये प्रधम रूप से एवं उसके अतिरिक्त कुल राशि 11,16,875 रुपये आगामी 4 वर्षी हेतु घटकवार राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम ननोहरा के अंतर्गत सासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 393 / 1, क्षेत्रफल 2.43 हेक्टेयर) के सबंध में उक्त सीईआर के अंतर्गत 'पवित्र दम' के कार्य हेतु याम पंचायत ननोहरा द्वारा दिनांक 30 / 03 / 2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण वी प्रति प्रस्तुत की गई है। राशि ही स्थूल में पर्यावरण संबंधी पुस्तक (स्थूल में विद्युतियों की संख्या की अनुसंध) एवं उनकी रस-रसाय हेतु आलगिंता के लिए राशि कर्पये 6 लाख, बाहरी के चारों तरफ पूषारोपण के लिए राशि रुपये 2.48 लाख, रनिंग वीटर के लिए राशि रुपये 1.80 लाख एवं पीने योग्य पानी के लिए राशि रुपये 5.60 लाख का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिस हेतु प्रधान पाठक, शासकीय माल्डिनिक शाला किरना, प्रधान पाठक, नवीन प्राथमिक शाला किरना, संकुल समन्वय, संकुल स्ट्रीट कोट निवाय, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मेहरशाला, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कुशरील एवं प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रेता से सहमति प्राप्त कर, प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सीईआर वी हेतु राशि रुपये 8.94 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य दम विकास मिशन (Forest Development Corporation) में जमा की जाए।

17. प्रस्तावित गैसीफायर में हीट गैस फ्लायरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा एवं गैसीफायर से उत्पन्न गैस का कण्डनशोरण नहीं किया जाएगा, जिससे कोई विनाशिक वीटर उत्पन्न नहीं होगा। प्रस्तावित गैसीफायर की क्षमता 1 मुण्डा 6,500 सामान्य एनरीटर होगी, जिसमें टी-भैटरियल के रूप में डुपिडयन कोल 21,500 टन प्रतिवर्ष अथवा इम्पीटेड कोल 13,700 टन प्रतिवर्ष कोयला खपत होगी। इससे उत्पन्न ठोक अवधिएँ की मात्रा सिप्पर 9,880 टन प्रतिवर्ष एवं टार 461 टन प्रतिवर्ष होगी। कोल न्यौशिफिकेशन (coal specification) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. इण्डिक्शन फर्मेस में प्रयोग के दौरान एनली बैलेस एवं मटरियल बैलेस की जानकारी प्रस्तुत की साथ ही इण्डिक्शन फर्मेस का विस्तृत विवरण एवं उससे जुड़ित होने वाले फार्टिकुलेट मेटर उत्तरान वी विस्तृत मणना कर प्रस्तुत की गई है तथा स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त परियोजना हेतु 33.2 मेगावाट (इण्डिक्शन फर्मेस हेतु 27 मेगावाट, रोलिंग मिल हेतु 6 मेगावाट एवं

कोल गैसीफायर हेतु 0.2 मीमार्डीट) विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित है।

19. उद्योग को प्राप्त होने वाले री-मटेरियल के सप्लायर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
20. प्लाट में लेहल रिफाईनिंग फर्नेस का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेहल का उपयोग कंवल हॉट मेटल को सिपट करने के लिए किया जाएगा। साथ ही प्लाट ले-आउट में सभी इकाईयों को रफ्ट दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
21. सनिति का नहीं है कि अधिक से अधिक सतही जल (Surface water) का उपयोग किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से गोसाई झीर्य इरपात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-किरना, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर रियास खासका 247/2, 247/11, 247/15, 247/17, 270/2, 271/1, 271/3, 271/4, 272/1, 273, 274, 276/5, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/29, 276/38, 276/40, 276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 319/9, 320/18, 320/42 एवं 320/47, कुल क्षेत्रफल - 11,065 हेक्टेयर (27.33 एकड़) में इष्टवासन फर्नेस से (एम.एस. बिलेट/इगाट/हॉट बिलेट्स) - 30,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन) से 3,27,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 6 टन एवं 6 गुणा 15 टन), हॉट बार्ज आधारित रोलिंग मिल (टी. एम.टी./बायर रोल/पक्का एवं अन्य सी-रोल्ड प्रोडक्ट) - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,21,750 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर - 1 गुणा 6,500 सामान्य प्रमाणीटर प्रतिवर्ष एवं गैस्टेनाईजिन यूनिट (एस.बी. बायर, जी.आई. बायर, बाईडिंग बायर, बैल मेश, बैन लिंक, बारबेल बायर, बैल्ड मेश, स्टे बायर, कोल्ड डिप, रेकटीफायर, बायर बलीध) - 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय नवीकृति हेतु पर्यावरणीय नवीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/06/2022 को सप्तम 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट किया गया कि परियोजना में कोल गैसीफायर का उपयोग किये जाने के कारण समवतः फिनांसिक बौद्धर उत्पन्न होगा। उद्योग के प्रस्तावित प्रस्ताव में किस पद्धति से फिनांसिक बौद्धर उत्पन्न नहीं होगा कि संबंध में स्पष्टीकरण (प्रोसीस एवं चार्ट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श** उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिवेद्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के साथ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार रायित किया जाए।

**एजेंप्डा आवटम क्रमांक-3**

हिंकायत के परिवेद्य में उपरामिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में निर्णय लिया जाना।

१. मेरासी महावीर कोल वौशरीज प्राईवेट लिमिटेड, याम-खरगहनी-पथरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (संविवालय का नम्रती क्रमांक 1323)

आवेदन — पूर्व में ब्रियोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ ६६७७९ /२०२० दिनांक १९/०८/२०२१ द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। बांगन में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के परिणाम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलक्षण मंडल को प्राप्त शिकायत की प्रति दिनांक ०८/१०/२०२१ को प्रेषित किया गया है।

एसआईए.ए. छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक २८/०९/२०२१ द्वारा मेरासी महावीर कोल वौशरीज प्राईवेट लिमिटेड, याम-खरगहनी-पथरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर नियत घसरा क्रमांक १, २/१, २/२, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २९/१, २९/२, ३०, ३१, ४७३/१, ४७३/२ एवं ४७३/३. कुल कोक्कल — ११.६२ हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वौशरी क्षमता—०.९० मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति जारी किया गया है।

सरपंच, याम पंचायत पिपरतराहृ, खरगहनी, खुरदुर खरगहना, उरवाचाधा, गोकुलपुर, भरारी, पथरी एवं उपसरपंच, याम पंचायत खरगहनी द्वारा सामृद्धिक रूप से दिनांक ०५/१०/२०२१ को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलक्षण मंडल में आवेदित प्रकरण में पर्यावरणीय स्थीरता पर आपत्ति बाबत पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथा निम्नानुसार है—

- आस-पास के सभी प्रभावित याम पंचायतों को आपत्ति है, क्योंकि कोल वौशरी स्थापित किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे आस-पास के गांवों में निवासस्थल लोगों के स्थानस्थल पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
- वौशरी से निकलने वाले छट के कारण जिसानों की हजारी एकड़ उपजाऊ भूमि बजर हो जाएगी, पानी प्रदूषित होगा। साढ़कों पर बड़ी जाहनों के आवागमन से भारी दुर्घटना की समाचार हमेशा ही रहेगी।
- वौशरी में बोयले को छोने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा जिससे उन होओं में जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिसके कारण ऐयजल एवं खेतों में शिंघाई के साथनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पथरी एवं खरगहनी तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर में पर्यावरणीय स्थीरता के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन के परिवेश में स्थानीय समाचार पत्र हरिनगर, बिलासपुर से ३० कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं हरिनगर समाचार पत्र गांव में नहीं पहुंच पाता है, प्रकरणशन दिनांक से १ माह तक परियोजना के संबंध में सुझाव टीका टिप्पणीया एवं आपत्तिया प्रस्तुत करने हेतु आवंतित किया गया था। जो कि हम यामवारी पथरी एवं खरगहनी को छल करने के लिए अथवा छानापूर्ति करने के उद्देश्य से पर्यावरण नियाम द्वारा समाचार पत्र में प्रचलित के साथ ही पथरी एवं खरगहनी याम पंचायत को पत्र के माध्यम से सूचनाएँ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानकारी के अभाव से प्रभावित याम बासियों के द्वारा आपत्ति दर्ता नहीं कराई जा सकी।
- कुछ अज्ञात बाहरी प्रविलयों द्वारा सहमति दर्ता कराई गई। जो कोल वौशरी के मेनेजर द्वारा लाए गये बाहरी व्यक्ति थे। जिनके सहमति (समर्थन) को नियरत (शून्य) घोषित किया जाए। क्योंकि वे सभी प्रभावित व्यक्ति ने जगमग १२ किलोमीटर से १५ किलोमीटर के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं। जो कि श्री ब्रेमलाल

साहू रख्ये को याम भरारी का निवासी कहाते हुये बीशरी खुलने में सहमति दर्ज कराया है, जबकि भरारी का सरपंच का छहना है कि मेरे जानकारी अनुसार यह अधिक याम पंचायत भरारी का नहीं है। अतः यह पूर्णतः असत्य है। इस लिए इस अधिकारी द्वारा बीशरी हेतु दिये गये सहमति को निरसा (शून्य) प्रोत्तिष्ठित किया जाए।

- जितने भी बाहरी व्यक्ति द्वारा बीशरी के संघ में समर्थन दर्ज कराया गया है। उनके नाम तथा पता इस प्रकार है श्री योगेश याम—ननियारी, श्री राजेश बीशिक याम—गोकुलपुर, श्री ऐमलाल साहू याम—भुण्डा भरारी, श्री धर्मेन्द्र कंवट याम—बेलटुकरी, श्री राम साहू याम—ननियारी यह सभी व्यक्ति बीशरी में याम करने वाले गजदूर हैं। जिसे बीशरी के मेनेजर द्वारा लाया गया था। जिसकी जीवं वी जाए तथा इसका अधार कार्ड ताशन कार्य, परिवाय पञ्च वी छायाचिति याम पंचायत पर्यायी एवं समर्थन याम पंचायतों के सरपंच को प्रदान किया जाए। समस्त याम पंचायतों एवं याम वासियों द्वारा किये गये प्रियोग आपत्तियों को प्राप्तिकरण दिया जाए एवं बीशरी रथायित करने पर पूर्ण प्रतिवध लगाया जाए। अन्यथा इसके स्थापना से 5 किलोमीटर की भीतर आगे वाले 8 याम पंचायतों के लगभग 50,000 हजार जानसख्त के जान जीवन एवं स्थानीय जीव-जन्मुओं पर दुरा प्रभाव पड़ेगा।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपराजि सर्वसम्मति से उपरोक्त शिकायत वी जीवं करने हेतु ढो. दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य रत्नीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं ढो. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य रत्नीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा होत्रीय अधिकारी, होत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को समिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने वेता निरीकण किया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति रथल का निरीकण करेगी तथा अद्यतन लिखित वी अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से उत्तीर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2022 द्वारा ढो. दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य रत्नीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं ढो. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य रत्नीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा होत्रीय अधिकारी, होत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को रथल निरीकण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 08/03/2022 को रथल निरीकण कर दिनांक 09/03/2022 को निरीकण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीकण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि ऐकित निरीकण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथा निम्नानुसार है—

रथल निरीकण उपरांत होत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में उपलब्ध रिक्तरु का परीक्षण किया गया। शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में पाई गई लिखित वी जानकारी निम्नानुसार है—

- मेससे भावीर कोल बौशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खरगहनी, फर्दा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर ने बायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यथोचित उपाय करेंगे जैसे कि 4 मीटर बाटुपट्टीबाल के साथ बिंब बौल, ऐन गन लगाया जायेगा।
- कोल बौशरी द्वारा आंतरिक मार्गों का पक्षीकरण किया जायेगा, जिससे धूल नहीं उड़ेगी।
- कच्छ कोल से कोल का परिवहन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत फर्दा द्वारा दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा दिनांक 21/05/2020 को परियोजना हेतु अनापत्ति प्रदान की गई।
- परिसर के चारों ओर पर्याप्त शीन बेल्ट का इकायन किया जायेगा।

उक्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को जानकारी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें विभिन्न मुद्दों का निशानण किया गया है। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

- बौशरी द्वारा उद्घोग परिसर से शून्य निःसारण की स्थिति रखी जायेगी। बायु प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था की जायेगी जैसा की ऊपर चर्चित है।
- आंतरिक मार्गों में पर्युजिटिव लस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा।
- अगर प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या होती है, तो ग्राम चारियों के साथ बैठकर हल निकाला जायेगा।
- सी.एस.आर के माध्यम से आस-पास के नावों में कार्य किया जायेगा।
- जल प्रबंधन एवं जल संग्रह के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा श्री.जी.सी.ग्वबी (CGWB) से अवश्य प्राप्त की गई है। परियोजना सेफ जोन में आती है एवं परियोजक द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत बौटर रिसायकल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। बौटर टैबल को मैनटेन करने के लिए ऐन बौटर हार्डिंग किया जायेगा। एवं पास के गांव में 02 लालाबों का निर्माण किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई की विस्तृत जानकारी ग्रामवासियों को जन मुनादी (दिनांक 28/07/2021 से 03/08/2021 तक) कराकर दी गई है। संबंधित ग्राम पंचायतों को पत्र दिनांक 26/03/2021 एवं दिनांक 22/07/2021 की माध्यम से सूचित किया गया था।

अतः ऊपरीबत्ता तथ्यों की आधार एवं दिवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आपत्ति इस पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है, इन प्राप्त आपत्तियों का समायोजन परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में लिखित एवं मौखिक रूप से निराकरण प्रस्तुत किया। शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य तभी नहीं हैं तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्राप्त शिकायत गिराकृत नहीं जाए।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्राप्त शिकायत के परिषेक्य में उपरान्ति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया जा रहा है, उल्लेखित तथ्यों के परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संघन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज़/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. लोक सुनवाई की तिथि से 30 दिन पूर्व लोक सुनवाई की सूचना के संबंध में तथ्यात्मक अभिलेख निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. परिसंकटनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संबंध) एवं उत्थन्न दूषित जल के प्रबंधन हेतु किये जाने वाले उपाय के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
3. सी.एस.आर के माध्यम से आस-पास के गांवों में कार्यी हेतु कार्ययोजना के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
5. बृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में बृक्षारोपण के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
6. रेन बॉटर हाईरिटेंग हेतु तैयार किये गये कार्ययोजना के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
7. आंतरिक मार्गों में जल छिड़काव हेतु व्यवस्था की जानकारी का लेख किया जाना आवश्यक है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरामिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्त तथ्यों का समावेश करते हुये जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाए।**

डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आवलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार खोपड़, सदस्य, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा हीत्रीय अधिकारी, हीत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, विलासपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स घीठाहारी सोन्ह इटोन बवारी (प्रो.- श्री मातादीन जायसवाल), ग्राम-घीठाहारी, तहसील-करताला, जिला-कोरबा (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1552)

**आवेदन** - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के हापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स घीठाहारी सोन्ह इटोन बवारी (प्रो.- श्री मातादीन जायसवाल) की ग्राम-घीठाहारी, तहसील-करताला, जिला-कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित सोन्ह इटोन (गौण खनिज) खादान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता - 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर घन्दाकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के मास्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक जीव बाबत पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य नियमानुसार हैं—

- आबादी, ऐक्षणिक रांगड़ान, अवपत्तात रो नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी का है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित बन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उल्ज्जनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। कर्मान में प्रस्तुत माईरिंग घनान में 4 मीटर गहराई पर उल्ज्जनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि किसने मीटर गहराई तक उल्ज्जनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
- पट्टेदार द्वारा औद्योगिक बहुन को डम्प की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा रसोप 45° से अधिक औद्योगिक बहुन डम्प किया जाकर नियम विरुद्ध भिट्ठी / मुक्तम को छाप किया जा रहा है। साथ ही युक्तारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्तरों प्रभावित न हो, वर्षा सोकने को लिए रिटर्निंग दील तथा गारलेट्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेपटी जौन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर गेस्ट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण क्षमता निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की ऊनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।
- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति गिरामो का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार-बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। अतः जीव कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार —** उपरोक्त प्रवर्तन पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को सम्पन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का आवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त शिकायत की जीव करने हेतु दी रीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं की एन.के. घन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा हंडीय अधिकारी, हंडीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय मंडल, कोरबा को समितित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का गिर्जय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जीव प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक शिंहा, सदस्य, राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आवलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य सत्रीय विहीनज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 की स्थल निरीक्षण कार दिनांक 26/04/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

“निरीक्षण के समय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक शिंहा, सदस्य, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तथा श्री अंकुर साहू क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा के साथ-साथ श्री उत्तम खुटे, खनि निरीक्षक, पट्टेदार श्री भातादीन जायसबाल एवं दो खनि सिपाही भी उपस्थित थे।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का विवरण एवं निरीक्षण जीव में पाई गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1) आबादी, शैक्षणिक संरक्षण, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से कम है।

समिति द्वारा जीव करने पर पाया गया है कि लौज क्षेत्र से समीपस्थ आबादी की दूरी लगभग 600 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौज खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संरक्षण, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक है।

2) खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परियि क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित या सारक्षित बन की सीमा है।

समिति द्वारा जीव करने पर पाया कि लौज क्षेत्र से बन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौज खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) पट्टेदार को आवंटित क्षेत्र, बन क्षेत्र की निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

3) खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि किन्तने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पट्टालीनुमा (small

hillock) में अवस्थित होते हैं। अतः योजना में प्रतीक्षित गहराई न होकर कंचाई से सम्बद्धित है। वर्तमान में स्वीकृत पहाड़ के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जीव की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं सुनिकार, छत्तीसगढ़ / डीजीएनएस को लेख किया जाना चाहित होगा।

- 4) पहुंचार द्वारा औबर बर्लन डंप की कंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा समीप 45 फिटी से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध निटटी/मुरलम को छत्तीसगढ़ किया जा रहा है साथ ही यूकासोपण नहीं किया गया है।

यह शिकायत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सोफटी रूल से सम्बद्धित है। अतः उसकी जीव की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं सुनिकार, छत्तीसगढ़ / डीजीएनएस को लेख किया जाना चाहित होगा।

समिति के समझ यह भी संझान में आया कि पहुंचार द्वारा निर्धारित बालंडी 7.5 मीटर यूकासोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

- 5) वर्धा याल से सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग याल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्धा जल सतह में आता है, रिटर्निंग याल तथा गारलैंड बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में भिहित हात अनुसार गारलैंड ढेन एवं सोटलिंग पीण्ड का निर्माण नहीं किया गया है।

पहुंचार द्वारा समिति के समझ यह संझान में लाया गया कि सुनिज क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्धा जल संचित होकर बाउंड वाटर दिवार होता है।

- 6) लीज क्षेत्र के बारे तरफ 7.5 मीटर का सोफटी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेर्ट डंप किया जा रहा है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेर्ट डंप नहीं होना पाया गया है, सुखनान क्षेत्र में 7.5 मीटर की सोफटी जोन नहीं छोड़ा गया है।

- 7) वर्ष 2016 में कमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य सर्वीस वर्षावरण कमाचाल नियारिण प्राधिकरण द्वारा कमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः पहुंचार द्वारा कमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

सुनिज अधिकारी लीज क्षेत्र प्राप्त जानकारी के आधार पर 2018 से आज दिनांक तक नियारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक सुनान का उत्खेत्त नहीं किया गया है लेकिन आविर्त्त क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर

खुदाई के प्रभाण मिले हैं जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना चाहिए होगा।

उपरोक्त जीव के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उपरामिति के सदरमयों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया था निम्नानुसार है:

- लीज क्षेत्र के चारों ओर केवल सीमा स्तम्भ स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फॉर्सिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारों ओर में दृश्याशोपण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

प्राधिकरण द्वारा विवार विवर्ण उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में गाइस एकट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पासन सम्बन्धी जिकायत जीव की कार्यवाही हेतु संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में औपर बर्टन डंप की ऊंचाई सतह से तथा स्तोम के संबंध में जीव की कार्यवाही हेतु संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पहेदार द्वारा निर्धारित बारंडी 7.5 मीटर में दृश्याशोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विलद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसेपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. बिन्दु क्रमांक 5 के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पौण्ड का निर्माण नहीं किये एवं बिन्दु क्रमांक 6 के परिपेक्ष्य में उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर चरि सेफटी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विलद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसेपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
4. बिन्दु क्रमांक 7 के परिपेक्ष्य ने आवटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रभाण मिले हैं जिसके असेसमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फॉर्सिंग कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विलद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसेपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार सूचित किया जाए।

## एवेंग्ड आयटम रॉमाक-४

श्री पूरण लाल निशाद, निवासी दीनदयाल चपाओचाय नगर, एस.के. बेकरी के सभीप. जिला-राष्ट्रपुर द्वारा अवैध ईट भट्ठा संचालन (मैसासी बेरलाकला द्विकरा अर्थवाचारी (प्रो.- श्री दयाराम यादव)) को बंद करवाने हेतु प्राप्त शिकायत के संबंध में निर्णय लिया जाना।

**आवेदन** - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ ९२८८८/२०१९ दिनांक २५/०१/२०१९ द्वारा पर्यावरणीय नवीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। यहांमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन ने परियोजना में श्री पूरण लाल निशाद द्वारा दिनांक २२/०४/२०२२ को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रवर्तावक द्वारा प्रस्तुत औनलाइन आवेदन में कमियों होने से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक १८/०२/२०१९ द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रवर्तावक द्वारा याचित जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त नहीं है।

श्री पूरण लाल निशाद द्वारा दिनांक २२/०४/२०२२ के नाम्यम से दिना पर्यावरणीय नवीकृति प्राप्त किये अवैध रूप से ईट भट्ठा संचालन किये जाने वाले पर घोषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

- एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक १८/०२/२०१९ द्वारा जारी औनलाइन ई.डी.एस के परियोजना प्रवर्तावक द्वारा याचित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- मैसासी बेरलाकला द्विकरा अर्थवाचारी (प्रो.- श्री दयाराम यादव) द्वारा वर्ष २०२०-२१ में दिना लीज एवं दिना पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदित खसरा में अवैध रूप से फिकस दिमांग का निर्माण करवा कर ईट निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष १ करोड़ से लाख करोड़ ईट निर्माण किया जा रहा है एवं बढ़े पेंगाने पर जी.एस.टी. रोयल्टी भी।
- मैसासी बेरलाकला द्विकरा अर्थवाचारी (प्रो.- श्री दयाराम यादव) की परिव श्रीमती रेता यदु के नाम से एक और ईट भट्ठा है, जिसका रखना ०.५७ हेक्टेयर, खसरा द्वारा दिनांक ५९६/१, २, ४, ६२०/१ में भी उत्खानन जागता रूप सार लाख है, से लगभग १ करोड़ ईट ८ माह में दिसम्बर से जून माह तक ईट निर्माण की जा रही है एवं विक्रय किया जा रहा है।
- उक्त दोनों ईट भट्ठों से भारी भाजा में अवैध रूप से ईट ता निर्माण किया जा रहा है एवं पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह नेत उत्खानन यान-बेरलाकला में पक्षायत एवं पक्षी द्वारा भिल करके अवैध उत्खानन किया जा रहा है।

- अतः इस अवैध उत्तराभ्यान को तत्काल एवं अतिरिक्त बदल कराये तथा अवैध लीज धारको पर हसित कार्यवाही की जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को सपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/उत्तराभ्यान का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार की दिनांक 11/05/2022 को सपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया कि उपरोक्त लाभों की जीव कराये जाने एवं जीव उपरात उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत परियोजना प्रस्तावक के विकास विधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसंपत्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पञ्च प्रेषित किया जाए।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार सूचित किया जाए।

#### एच०प्टा आवटम क्रमांक-४ अध्यक्ष पहोचय की अनुमति रो अन्य विषय।

मेसर्स अधिनाश एनजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मोहरा एवं हिरमी, तहसील-सिंभगा, जिला-बलीदाबाजार-भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 900)

**आवेदन –** पूर्ण में प्राप्तजाल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनली/ 37500/ 2019 दिनांक 21/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। बत्तमान में श्री मंतोष कुमार पाठक, सरपंच एवं श्री राजेश वर्मा, उपसरपंच, ग्राम पंचायत मोहरा द्वारा दिनांक 04/05/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 107 दिनांक 25/04/2022 द्वारा मेसर्स अधिनाश एनजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मोहरा में खासरा क्रमांक 148, 147, 148, 149, 150, 168/1, 2, 3 एवं 4, 169, 170/1, 2, 3, 4 एवं 5, 171, 172/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, 173, 174/1 एवं 2, 175, 176, 177/1 एवं 3, 178, 179/1 एवं 2, 180, 181/1, 2 एवं 3, 182/1 एवं 6, 183, 184 तथा ग्राम-हिरमी में खासरा क्रमांक 872/2, 858, 855/3, तहसील-सिंभगा, जिला-बलीदाबाजार-भाठापारा स्थित कुल क्षेत्रफल – 67 एकड़ (27.129 हेक्टेयर) में फैलावाई प्लाट (संघ आवरण) (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन कर्नेस (एम.एस. विलेट्स/एम.एस.इंगार्ड्स) (5 गुणा 10 टन) क्षमता – 1.65,000 टन प्रतिवर्ष, शेलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/स्ट्रक्चरल कटील/रोल्ड प्रोड्यूट्स) (1 गुणा 500 टन प्रतिदिन) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.सी. आधारित पीयर प्लाट क्षमता – 5 मेगावीट तथा एफ.बी.सी. आधारित पीयर प्लाट क्षमता – 5 मेगावीट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

समस्त ग्रामवासी मोहरा द्वारा मेसर्स अधिनाश एनजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-मोहरा एवं हिरमी, तहसील-सिंभगा, जिला-बलीदाबाजार-भाठापारा, प्रस्तावित संघ आवरण प्लाट क्षमता 62,700 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति के निरस्तीकरण काबू प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

- उद्योग की रक्षापना हेतु प्रस्तुत काईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट में नेबेट संसाधकार इन्हायरोनेट लेबोरेटरी मेसर्स पायोनियर इन्डियर्स लिमिटेड एण्ड

कानूनसंलग्न प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा चेसलाइन डाटा संग्रहण हेतु प्रस्तुत गोनिटरिंग डाटा के तथ्य पूर्णतः असत्य है।

2. याम गोहरा ने उक्त लिंगि में किसी भी तरह के उपकरण समाकर बैसलाईन डाटा संग्रहण हेतु वायु जल, ध्वनि, निट्रोजन आदि की गुणवत्ता की जीव कमी की ही नहीं गई है। साथ ही जिन स्थलों पर भूमिटरिंग इंआईए. रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उनके फोटोग्राफ अलांक एवं देशांतर के जाथ भी इंआईए. रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है।
  3. उद्योग की रक्षापना तरने के लिए आयोडिट जन सुनवाई में 5 कि.मी. क्षेत्र में विभिन्न समस्त यामों जिनमें गोहरा, हिरण्यी, बार्डिंग कैबटरा, छछानपाहरी आदि यामों को समर्पण याम कानियों को द्वारा उद्योग की रक्षापना का घोर विरोध किया गया था। अतः जन सुनवाई को दीर्घ स्थल में लिए गये विडियोग्राफी कर संज्ञान लिया जाए। जिससे प्रत्युत्त लिंगि पूर्णतः स्पष्ट हो जाए।
  4. यह क्षेत्र पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है, जिसमें समर्पण वृक्षक जीविकोपार्जन हेतु वृक्षि पर निर्भर है, स्पैज औद्योगिक प्लॉट के खुलने से न सिर्फ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं भूदा प्रदूषित होगी, अपितु प्रस्तावित भूमिगत जल के उपयोग से हमारे क्षेत्र में धूमिगत जल स्तर में भी बारी कमी होगी। प्रदूषित पृथा एवं वायु प्रदूषण से वृक्षि उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होगी।

लक्षणों के स्थापना करने हेतु नवीकृत पर्यावरणीय नवीकृति को निरसन करते हुए। अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे स्थापना सम्मति (CTE), लंबालग सम्मति (CTO) न प्रदान किये जाने हेतु अनशोध विचार गया।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को सम्पन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विनियुक्त उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्ता तथ्यों के परियोग्य में बेसर्ट पायोनियर हम्बायर्स लेबोरट्रीज एप्ल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से उत्तर प्राप्त किया जाए।**

मेसर्स एवं पार्टनर्स द्वारा लेवोलटीज एण्ड कॉन्सलटेन्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद को तदानुसार लेता किया जाए।

**देशक धन्यवाद क्रापन के साथ संघर्ष हुई।**

(आरप्री. तिवारी)  
सदस्य समिष्ट

## राजप स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राथिकरण घट्टीचागड

(देवार्थीष दास)

राज्य सत्रारीय पर्यावरण द्रव्याय आकाशम  
प्राकृतिक इंस्टीट्यूट

(कृष्ण दीपक सिंह)

三

सार्वजनिक संस्कृत विद्यालय अकादमी प्राप्तिकरण भूतीसंगठन